अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र

सर्वोदय जगत

वर्ष- 43, अंक- 03, 16-30 सितंबर 2019

अपनी शांति की तलाश हमें
अपने भीतर ही करनी होगी;
और यह शांति वास्तविक हो,
इसके लिए आवश्यक है कि वह
वाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से
मुक्त हो। जिस दिन हमारे प्रेम
की शक्ति, शक्ति के प्रति हमारे
प्रेम पर हावी हो जाएगी, दुनिया
मे शांति आ जायेगी। शांति के
सिवा, शांति का और कोई
रास्ता नही।

- गांधी

सर्व सेवा संघ
(अखिल भारत सर्वोदय मंडल)
द्वारा प्रकाशित

अहिंसक क्रान्ति का पाक्षिक मुख-पत्र
सर्वोदय जगत
सत्य, अहिंसा एवं सर्वोदय-सम्पूर्ण क्रांति का संदेश वाहक

वर्ष : 43, अंक : 03, 16-30 सितंबर 2019

अध्यक्ष
महादेव विद्रोही

संपादक
बिमल कुमार
सहसंपादक
प्रेम प्रकाश
09453219994
संपादक मंडल
डॉ. रामजी सिंह भवानी शंकर 'कुसुम'
प्रो. सोमनाथ रोडे अरविन्द अंजुम,
रमेश ओझा अशोक मोती

संपादकीय कार्यालय
सर्व सेवा संघ
राजघाट, वाराणसी-221001 (उ.प्र.)
फोन : 0542-2440-385/223
ईमेल : sarvodayajagat@gmail.com
Website : sssprakashan.com

शुल्क

एक प्रति	:	05 रुपये
वार्षिक	:	100 रुपये
आजीवन	:	1000 रुपये

खाता संख्या : 383502010004310
IFSC Code : UBIN0538353
Union Bank of India
Rajghat, Varanasi

इस अंक में...

1. संपादकीय... 2
2. महाविनाश की एक झलक... 3
3. एटम बमों की ढेर पर बैठी है ये दुनिया... 4
4. विश्व को परमाणु विनाश से बचाने का... 4
5. शांति क्या है!... 5
6. महात्मा गांधी की कश्मीर यात्रा... 7
7. याद आते हैं विनोबा... 8
8. जयंती वर्ष पर विशेष अभियान... 10
9. हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन... 12
10. सम्पत्ति बनाम आय... 13
11. उपन्यास - 'बा'... 14
12. बढ़ता जहरीला ठोस कचरा एक बड़ी... 16
13. लोक-विमर्श... 18
14. गतिविधियां एवं समाचार... 19
15. कविता... 20

संपादकीय

स्वार्थ बनाम नैतिकता

आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्धि विज्ञान एवं टेक्नालॉजी का विकास है। विज्ञान ने भौतिक जगत के नियमों को समझने में तथा उन नियमों के उपयोग द्वारा नयी-नयी टेक्नालॉजी का विकास किया। इसके फलस्वरूप भौतिक उत्पादन तथा प्रकृति के नियंत्रण में मानव जगत कई कदम आगे बढ़ गया। प्रकृति के नियम लगभग निश्चित होते हैं। उनका टेक्नालॉजी में इस्तेमाल किया जाना एक वैज्ञानिक (तर्कसंगत) सोच का परिणाम था। इस वैज्ञानिक सोच को पश्चिमी देशों ने तर्कसंगतता बोध का नाम दिया। लेकिन मानव चेतना तथा मानव संबंधों में तर्कसंगतता को लादने की कोशिश वैज्ञानिक सोच न होकर, प्रभुत्व स्थापित करने वाली सोच का परिणाम थी। जिसे वैज्ञानिक सोच के नाम पर लादा गया।

मनुष्य के सुख की कामना के केन्द्र में उसकी व्यक्तिगत निजता नहीं है। और न ही इसे शरीर सुख के सीमित समीकरण में समझा जा सकता है। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, अतः उसका सुख उसके नैतिक कर्तव्य में निहित होता है। और यह नैतिकता गहराई से उसकी न्याय की समझ से जुड़ी होती है। मनुष्य का विकास सामाजिक समूहों में हुआ जिसके मूल में सामूहिक चेतना तथा सामाजिक साहचर्य व संगतता रही है।

आधुनिक युग ने व्यक्ति की तर्कसंगतता के केन्द्र में उसके निजी स्वार्थ को स्थापित कर दिया तथा व्यक्ति एवं बाजार की संरचना का निर्माण इसी निजी स्वार्थ की भावना के ऊपर किया गया। व्यक्ति की स्वायत्ता एवं उसके निजी स्वार्थ सर्वोपरि हो गये। ये विचार मनुष्य जाति के लिए आत्मघाती हैं क्योंकि सबके निजी स्वार्थ के टकराव की परिणति मनुष्य जाति के विनाश में होगी। उस अर्थशास्त्र को अस्वीकार करना होगा, जो यह कहता है कि सबके निजी स्वार्थ प्रेरित व्यवहार से विकास एवं आर्थिक संतुलन कायम होगा। पिछले 500 वर्षों का अनुभव बताता है कि इस अवधारणा के फलस्वरूप पूंजी का अत्यधिक केन्द्रीकरण हुआ तथा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से विश्व के बहुसंख्य समुदाय बेदखल कर दिये गये। इस विचार ने आर्थिक हिंसा को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा संस्थागत हिंसा के दायरे को अत्यधिक विस्तार व गहराई तक ले जाने का काम किया।

कई शताब्दियों तक इस संस्थागत हिंसा के विस्तार के कारण, पुराने परंपरागत समुदायों से भी प्रेम, करुणा, सामाजिक सौहार्द, सेवा एवं सहयोग के मूल्य जो उनकी न्याय की भावना को परिपूर्ण करते थे तथा उनके न्याय की भावना को विस्तार देते थे, वे उनके सामाजिक जीवन से धीरे-धीरे बाहर होने लगे। ऐसे में गांधीजी के अहिंसक क्रांति के प्रयोगों ने इन्हें पुनर्स्थापित करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने तीन स्तरों पर कार्य किया।

पहला, रंग-भेद, लिंग भेद, जाति भेद, सम्प्रदाय, वर्ग एवं राष्ट्रीयताओं के आधार पर भेदभाव व असमानता का निषेध। यहां तक कि उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भारत में अंग्रेज रहें, किन्तु शोषणकारी, दोहनकारी तंत्र खत्म हो। अंग्रेजों से नफरत नहीं थी, उपनिवेशवाद एवं शोषण के तंत्र को खत्म करने का संकल्प था।

दूसरे, सत्याग्रह, वैकल्पिक रचना तथा आश्रम पद्धति के माध्यम से संस्थागत हिंसा एवं निजी स्वार्थ आधारित प्रेरणा का विकल्प प्रस्तुत करने का प्रयोग किया। इन सभी प्रयोगों में (क) अन्याय व हिंसा का विरोध करके सामूहिक अहिंसक शक्ति का विकास; (ख) निजी स्वार्थ के बजाय न्यायपूर्ण सामूहिक हित की प्रेरणा, (ग) आत्म शक्ति व आत्मबल द्वारा तीनों क्षेत्रों में कार्य संपादन एवं सामूहिकता का विकास तथा (घ) प्रेम, करुणा, सामाजिक सौहार्द, सेवा एवं सहयोग के मूल्यों की पुनर्स्थापना के प्रयोग शामिल थे।

तीसरे, अहिंसा समूह चेतना (विश्व चेतना) का मंत्र है और हिंसा निजी स्वार्थ चेतना का आधार। अहिंसा की शक्ति का आधार आत्मबल है। जैसे-जैसे आत्मशक्ति का विकास होगा, व्यक्ति निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सामूहिक हित एवं वैश्विक हित की ओर प्रेरित होगा। निजी स्वार्थ आधारित तर्कसंगतता का विकल्प आत्मशक्ति का विकास है।

–बिमल कुमार

हिरोशिमा और नागासाकी

महाविनाश की एक झलक

❑ मनीषा गौर

जापान में बिताए हुए दिनों ने मेरे जीवन को अविस्मरणीय अनुभवों से भर दिया है। एक गांव के नजरिए से दुनिया को देखना व इस पृथ्वी पर उपस्थित मानव मात्र के कल्याण के उद्देश्य के लिए पूरा जीवन लगा देने वाले विभिन्न देशों के साथियों के साथ इन दिनों बहुत कुछ सीखने को मिला।

विश्व शांति के प्रयासों में लगे सभी कार्यकर्ताओं के बीच जब मैंने स्वयं को पाया तो लगा जैसे जीवन इसी क्षण के लिए मिला है। कई कार्यकर्ता तीस सालों से, कई पच्चीस सालों से इस मुहिम का हिस्सा हैं तथा कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन विश्व शांति की मुहिम को समर्पित कर दिया है। यदि सारे अनुभवों में से कुछ साझा करने को कहा जाए, तब मैं वह बताना जरूरी समझूंगी, जिससे पाठक समझ सकें कि इस शांति मुहिम का मतलब क्या है? मकसद क्या है? व जरूरत क्या है?

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। पहली बार किसी ने इन बमों का इस्तेमाल युद्ध में किया था। पूरी दुनिया में इस बम विस्फोट की तीव्र आलोचना हुई थी लेकिन जो हो चुका था वह बहुत ही भयावह व त्रासद था। जब भी किसी हिबाकुशा (जापान में बम पीड़ितों को हिबाकुशा कहा जाता है) से उसकी आपबीती सुनने को मिली तो रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी में कभी हमने यदि नरक की कल्पना की होगी तो जो भी कुछ हमारी कल्पनाओं में होगा, उससे ज्यादा भयावह समय हिरोशिमा व नागासाकी के बम पीड़ितों ने जीया है।

बम फटते ही विद्यालय, विद्यार्थियों व शिक्षकों समेत जमीन में समा गए, कार्यालय कर्मचारियों सहित जलकर खत्म हो गए, घरों की छत या तो उड़ गई या घर के सभी सदस्य उसमें दब गए। लकड़ियां व कांच के टुकड़े लोगों के शरीर में घुस गए। कई मकान, उनमें रहने वाले लोगों के साथ जलकर खाक हो गए। जो लोग खुले में थे, उनमें से कुछ बुरी तरह जल गए थे, उनके पहने हुए कपड़े भी जलकर शरीर से चिपक गए थे, लोग रेंगते हुए, मदद मांगते हुए पानी...पानी...मदद...मदद...चिल्ला रहे थे।

कई माता-पिता जो खुद भी जख्मी थे, अपने छोटे जख्मी बच्चों को अपने ऊपर लादकर घसीटते हुए उस स्थान से दूर जाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग चीखते-कराहते हुए अपने परिवार के अन्य सदस्यों को खोज रहे थे। तापमान इतना बढ़ गया था कि लोहा, तांबा, पीतल जैसी धातुएं पिघल गई थीं।

बम विस्फोट के बाद हुई काली बारिश ने सबको अनजाने डर से भिंगो दिया था। करीब 2,00,000 से ज्यादा लोग इस बम विस्फोट में मारे गए थे। 80,000 लोग उसी दिन मर गए, बाकी एक साल के अंदर मर गए। आने वाले सालों में बचे हुए बम पीड़ितों को नहीं मालूम होता था कि किस दिन रेडिएशन के प्रभाव से उन्हें कौन-सी बीमारी होगी व बीमारी के कितने दिन बाद वे मर जाएंगे।

उनकी इस स्थिति के कारण नौकरी के लिए साक्षात्कार के दौरान भी उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। विवाह प्रक्रिया के दौरान भी बम पीड़ितों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मां बनने के दौरान असमय गर्भपात की हर पल आशंका व बच्चे को हो सकने वाली बीमारियों को लेकर शंका बनी रहती थी। आज भी उनकी दूसरी व तीसरी पीढ़ी रेडिएशन के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

इस नरक के दृश्य को दूसरी बार पृथ्वी के किसी भी भाग में नहीं होने देने के संकल्प के लिए ही जापान में विभिन्न देशों के शांति कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे। ये शांति मुहिम उन खतरनाक हथियारों के खिलाफ थी, जो यदि किसी की सनक की वजह से चलाए गए या दुर्घटनावश भी चल जाएं तो हमारी खूबसूरत दुनिया के अंत के लिए उल्टी गिनती उसी पल शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से उस क्षेत्र का पर्यावरण खराब होता है तथा फुकुशिमा (जापान) व चरनोबिल (रूस) की तरह दुर्घटनावश यदि रेडिएशन वायु, जल व धरती में मिल जाए, तब पशु, पक्षी, जलचर व मनुष्य सभी को खतरा है।

अतः न केवल परमाणु हथियारों पर पूरी तरह प्रतिबंध हो, वरन परमाणु ऊर्जा के अन्य इस्तेमाल को भी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, धरती के अंदर मौजूद ऊर्जा, पनबिजली परियोजना, भूतापीय ऊर्जा, जैव ईंधन आदि के इस्तेमाल से न्यूनतम किया जाना चाहिए तथा क्रमशः समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यदि किसी देश के पास परमाणु ऊर्जा संयत्र है, तब परमाणु हथियार बना सकने की संभावना हमेशा बनी रहेगी।

जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति मार्च में भारत, अमेरिका, गुवाम व फिलीपींस, इन चार देशों के प्रतिनिधियों ने जापान के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ भाग लिया। शांति मार्च के दौरान प्रतिदिन नए शहरों में जाने का, नए लोगों से मिलने का, जापान को करीब से जानने का मौका मिला। 32 से 37 डिग्री तापमान में ग्यारह से पंद्रह किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलना, अन्य कई संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ गाते, बजाते, नारे लगाते रास्ते भर जीवन के नए रंग, पहाड़, समुद्र, आइलैंड, हरियाली, श्राइन (जापानी धार्मिक आध्यात्मिक स्थान) रिकॉन (जापानी पारंपरिक अतिथि गृह), दो आईलैंड को आपस में जोड़ते विशाल पुल, समुद्र के किनारे बसे शहर, एक आईलैंड से दूसरे आइलैंड तक फैरी पर जाना तथा इस दौरान जापानी साथियों के प्रेम व आतिथ्य ने जीवनभर के संबंधों में बांध लिया। इस दौरान ओकायामा, कुराशिकी, हायाशिमा, सोजा सिटी, माबी, असाकुची सिटी, कसाओका, फुकुयामा, ओनामिची सिटी, मिहारा सिटी, ताकेहारा सिटी, हिगाशी हिरोशिमा, कुरेसिटी, हिरोशिमा, नागासाकी एवं हत्कायची नामक शहरों में जाने का मौका मिला।

अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों में 84 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ कुल दस हजार लोगों ने भाग लिया। आयोजित कार्यशाला में मुझे दक्षिण

एशिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला जिसमें जापान, वियतनाम व दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि साथी वक्ता के रूप मे उपस्थित थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पीस पार्क में बारिश होने के बावजूद भी हजारों लोग छाता लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद थे।

अस्पताल में जाकर विभिन्न हिबाकुशाओं से मुलाकात के दौरान उनकी पीड़ा का एहसास हुआ। इवाकुनी यूएस मिलिट्री बेस व कुरे मॉरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स बेस पर ले जाने की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मीटिंग, अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, विभिन्न कार्यशालाओं, हस्ताक्षर अभियान, मोतीमाची नदी पर आयोजित श्रद्धांजलि, दीप विसर्जन व अन्य कई सारी गतिविधियों में शामिल होकर सभी साथियों के साथ आगामी कार्य योजना व आसीमित ऊर्जा के साथ वापस अपने देश लौटना हुआ। ❑

एटम बमों के ढेर पर बैठी है ये दुनिया

परमाणु हथियारों से लैस देश अपने अस्त्रों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं, आइये, जानें कि अभी दुनिया में किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। इस वक्त दुनिया में नौ देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्राएल और उत्तर कोरिया शामिल हैं. 2019 की शुरुआत में दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 थी. इस आंकड़े में उन सभी हथियारों को गिना गया है, जिन्हें तैनात किया गया है या फिर डिस्मेंटल किया जाना है. रूस के पास अभी 6,500 परमाणु हथियार हैं जबकि अमेरिका के पास 6,185. इनमें से एक चौथाई हथियारों को तैनात किया गया है.

अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट संधि 2021 में खत्म होने वाली है. दोनों देशों ने अभी इसे आगे बढ़ाने पर बात शुरू नहीं की है. अगर दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य मतभेद कम नहीं हुए तो रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों में आ रही कमी की भावी संभावनाएं कमजोर हो सकती हैं. रूस और अमेरिका, दोनों ही अपने परमाणु अस्त्रागार, मिसाइलों और डिलीवरी सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चला रहे हैं और इस काम पर खूब धन खर्च किया जा रहा है.

दक्षिण एशिया में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान भी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहे हैं. अनुमान है कि भारत के पास 130 से 140 और पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु हथियार हैं. वे नए सिस्टम भी विकसित कर रहे हैं या फिर ऐसी योजना बना रहे हैं. भारत और पाकिस्तान अपनी सैन्य परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमताओं को इस स्तर पर बढ़ाने में लगे हैं, जिससे अगले एक दशक में उनके परमाणु हथियारों के भंडार का आकार बढ़ेगा.

सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु हथियार हैं और वह उन्हें अपने देश की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानता है. वैसे जब से उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता शुरू की है, उसने किसी परमाणु हथियार या फिर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है.

अन्य देशों में फ्रांस के पास 300, चीन के पास 290, ब्रिटेन के पास 200 और इस्राएल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार है। कुल मिलाकर आज दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं कि पूरी दुनिया को अनेकों बार नष्ट किया जा सकता है। ❑

विश्व को परमाणु विनाश से बचाने का आह्वान

हिरोशिमा पर परमाणु बम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया है कि मानवता को परमाणु युद्ध की बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ी है. हिरोशिमा पर बम गिराए जाने के 77 साल पूरे होने पर विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त करने का आह्वान किया गया है।

हिरोशिमा में आयोजित वार्षिक शांति समारोह में संयुक्त राष्ट्र में निरस्त्रीकरण मामलों की उच्च प्रतिनिधि इज़ूमी नाकामित्सु ने महासचिव एंतोनियो गुटेरेश की ओर से एक संदेश दिया. उन्होंने कहा कि परमाणु धमाके में बच गए लोगों के नेतृत्व में हिरोशिमा और नागासाकी के लोग परमाणु हथियारों का फिर इस्तेमाल न होने देने के लिए सबसे आगे खड़े रहे हैं.

नाकामित्सु ने कहा, 'परमाणु युद्ध की मानवीय क़ीमत ध्यान दिलाने में उनके साहस और नैतिक नेतृत्व के लिए विश्व उनका कर्जदार है. यह दुख की बात है कि हम आज बदतर होते जा रहे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा हालात देख रहे है.' उन्होंने चिंता जताई कि परमाणु-शक्ति संपन्न देशों में तनाव बढ़ रहा है और दशकों तक विश्व को सुरक्षित बनाने वाली, निरस्त्रीकरण और हथियारों पर नियंत्रण लगाने वाली संस्थाओं पर अब सवाल उठ रहे हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ़ इकलौती गारंटी परमाणु हथियारों का पूर्ण रूप से उन्मूलन ही है. नाकामित्सु ने याद किया कि वर्ष 1946 में सबसे पहले महासभा प्रस्ताव का विषय परमाणु निरस्त्रीकरण ही था. मैंने पिछले साल जो नया निरस्त्रीकरण एजेंडा सामने रखा था उसके आधार में यही उद्देश्य है.

उन्होंने विश्व नेताओं से उस लक्ष्य की दिशा में तेज़ी से क़दम बढ़ाने की अपील की है. युद्ध में पहली बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के 77 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 14 हज़ार से ज्यादा परमाणु हथियार हैं. इस ख़तरे को कम करने और आखिर में पूरी तरह दूर करने के संबंध में अभी बहुत काम किया जाना बाक़ी है.

संयुक्त राष्ट्र में निरस्त्रीकरण मामलों की प्रमुख ने कहा कि वह हिरोशिमा के लोगों की दृढ़ भावना से प्रेरित हैं और साथ मिलकर विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्ति दिलाने के लिए तत्परता से काम करना चाहती हैं. ❑

चिन्तन

शांति क्या है!

❑ शैलेन्द्र शेखर

महावीर के पास एक बहुत बड़ा धनिक आया, एक नगर सेठ। उसने महावीर से कहा कि मुझे ध्यान खरीदना है। और जो भी आप मूल्य कहें, मैं चुकाने को तैयार हूं। महावीर ने कहा, यह असंभव है, ध्यान खरीदा नहीं जा सकता। खरीदने की वृत्ति वाला व्यक्ति ध्यान को समझ भी नहीं सकता, पाना तो बहुत दूर है। तुम्हारा सब धन भी नहीं खरीद सकेगा। उस धनी ने कहा कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास कितना धन है! तुम बोलो, उससे दुगुना भी दूंगा। तुम सिर्फ बोलो भर कि इतना लगेगा।

वह आदमी एक ही भाषा जानता होगा--धन की। उसने जीवन में सबकुछ धन से खरीदा था, तो उसकी कुछ गलती भी नहीं है, क्षमा योग्य है। उसने सब खरीद लिया था। सुंदर स्त्री चाहिए तो धन से मिल गई थी। बड़ा महल चाहिए तो धन से मिल गया था। बड़ा चिकित्सक चाहिए तो धन से मिल गया था। धन से क्या नहीं खरीदा जा सकता? उसने सब खरीद लिया था। तो उसने सोचा होगा कि ध्यान भी ऐसी क्या बला है जो धन से न मिल जाए! जब सब धन से मिलता है, तो यह भी मिल जाएगा।

लेकिन तकलीफ असल में ध्यान पाने की थी ही नहीं। उसी के गांव का एक गरीब आदमी ध्यानी हो गया था, महावीर ने कहा कि तू ऐसा कर, कि तेरे गांव में ही एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान उपलब्ध हो गया है, तू उसी से खरीद ले, तू उसी के पास चला जा। वह गरीब आदमी है, शायद पैसे के लोभ में आ जाए। तू उससे खरीद ले, शायद वह बेच दे। उसने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, यह तो बिलकुल आसान है। अगर वह ध्यान न बेचे, तो मैं उस गरीब आदमी को पूरा का पूरा ही खरीद सकता हूं। इसमें कोई अड़चन ही नहीं।

अब उसकी भाषा बिलकुल ठीक है, क्योंकि जब हम पूरे गरीब आदमी को ही खरीद सकते हैं, तो ध्यान में क्या रखा है। मगर गरीब आदमी खरीद लिया जाए तो भी ध्यान नहीं खरीदा जा सकता। वह गरीब आदमी उठा कर, जंजीरों में डाल कर, घर में भी पटक दिया जाए, तो भी ध्यान जंजीरों में नहीं पड़ जाएगा। भाषा की मुश्किल है। वह धन की भाषा ही समझता है।

वह गया उस गरीब आदमी के पास। और उससे कहा, जो तुझे चाहिए तू बोल, मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन ध्यान मुझे दे दे। अगर तूने ध्यान न दिया, तो मैं सैनिक ले कर आया हूं, ये तुझे उठा लेंगे। उस गरीब आदमी ने कहा कि तुम मुझे उठा लो, वही आसान है। ध्यान मैं तुम्हें कैसे दूं? ध्यान कोई वस्तु है, जो मैं तुम्हें दे दूं! ध्यान तो अनुभव है। तुम मुझे ले चलो, लेकिन मेरे अनुभव को कैसे मैं तुम्हें दे दूं? अनुभव तो तुम्हें अपना ही करना पड़ेगा।

एक शक्ति है, जो दूसरे से मिल सकती है। और एक शक्ति है, जो स्वयं के अनुभव से ही मिल सकती है। जो दूसरे से मिलती है, उसके साथ अशांति रहेगी, क्योंकि उसके साथ भय रहेगा। जो दूसरे ने दी है, वह दूसरा छीन सकता है। और जो दूसरे ने दी है, वह मेरी है नहीं--चाहे मैंने चुराई हो, चाहे मैंने फुसला कर मांगी हो, चाहे दान में प्राप्त की हो, चाहे शक्ति के दवाब से ली हो--किंतु वह मेरी नहीं है, वह किसी दूसरे की है। और जो दूसरे की है, वह दूसरे की ही रहती है, इसलिए भय लगा रहता है। भय पीछे-पीछे सरकता रहता है।

भय से अशांति पैदा होती है। जो छिन सकता है, उससे चिंता पैदा होती है। और फिर जितनी बाहर की शक्ति इकट्ठी होती जाती है, उतना ही उसके अनुपात में भीतर की निर्बलता दिखाई पड़ती है। इससे अशांति पैदा होती है।

इसलिए कोई गरीब आदमी इतनी गरीबी का अनुभव नहीं करता, जितना अमीर आदमी कर सकता है, अगर उसमें अक्ल हो। नालायक हो, बे-अक्ल हो तो उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी सी भी बुद्धि हो तो अमीर आदमी को जिस तरह की गरीबी का पता चलता है, उस तरह की गरीबी का पता गरीब आदमी को कभी नहीं चल सकता। क्योंकि कंट्रास्ट नहीं है, तुलना नहीं है। अमीर आदमी के पास धन का ढेर लग जाता है और भीतर वह देखता है, हृदय भिखारी का पात्र है, वहां कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी के हाथ में भी भिक्षा का पात्र है, भीतर भी भिक्षा का पात्र है। तुलना में विरोध नहीं है। उसे पता नहीं चलता कि वह कितना गरीब है। कितना गरीब है आदमी, यह अमीर हो कर ही पता चलता है।

इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि महावीर जब साम्राज्य को छोड़ कर गरीब होते हैं, बुद्ध जब सम्राट के सिंहासन से उतर कर रास्ते के भिखारी बनते हैं, तो उन्हें जिस गरीबी का अनुभव होता है, वह किसी दूसरे भिखारी को नहीं हो सकता है। उनकी गरीबी में अमीरी का बड़ा हाथ है, उनकी गरीबी शाही है, उसमें सम्राट होने का अनुभव छिपा है। उन्होंने सम्राट हो कर जान लिया कि इससे भी भीतर की गरीबी नहीं मिटती, बल्कि प्रकट हो कर दिखाई पड़ती है।

तो जितनी बाहर की शक्ति इकट्ठी होगी, उतनी भीतर की निर्बलता प्रकट हो कर दिखाई पड़ेगी। उससे चिंता पैदा होगी। इसलिए ध्यान रहे, गरीब आदमी उतना चिंतित नहीं होता, जितना अमीर आदमी चिंतित होता है।

अगर आज अमरीका में सबसे ज्यादा चिंता है, तो उसका कारण यह नहीं है कि अमरीका का कोई नैतिक पतन हो गया है। उसका कुल कारण यह है कि अमरीका आज सबसे ज्यादा धनी है। अमरीका में चिंता स्वाभाविक है। आप सब भी कोशिश में लगे हैं कि मुल्क हमारा धनी हो, होना ही चाहिए, तो आप ध्यान रखना कि वह सारी चिंता भी आपकी हो जाएगी। धन के साथ चिंता आएगी ही। गरीबी में एक निश्चिंतता है, क्योंकि गरीबी का कोई पता नहीं है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब बने रहें। मैं तो कह रहा हूं कि अच्छा है, आपको गरीबी का पता चले, तो अध्यात्म का जन्म हो। मैं तो कहता हूं कि अमीर होना धर्म के लिए अनिवार्य है। जितना समाज समृद्ध होगा, उतने ही विराट धर्म के जन्म की संभावना है।

गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। कोई उपाय नहीं है। गरीब आदमी के धर्म में भी जो वासना होती है, वह बाहर की शक्ति की ही होती है। वह प्रार्थना भी करता है तो धन के लिए, वह पूजा भी करता है तो धन के लिए। गरीब की पूजा और प्रार्थना में मांग पदार्थ की ही बनी रहती है। अमीर को पदार्थ तो उपलब्ध होता है, उसकी मांग का कोई सवाल नहीं है, वह उसके पास है। अब उसमें और जोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। और उससे एक महत चिंता पैदा होती है, एक गहन चिंता पैदा होती है, कि अब क्या? इसलिए आज अमरीका जितना विक्षिप्त है, उतना जमीन पर कोई राष्ट्र नहीं है। मगर यह सौभाग्य है। क्योंकि इस विक्षिप्तता का अर्थ ही यह हुआ कि धन गरीबी को प्रकट करता है, शक्ति निर्बलता को प्रकट करती है, शिक्षा भीतर के अज्ञान को उघाड़ती है।

बाहर हम जो पाते हैं, उससे विपरीत भीतर अनुभव में आता है, तो तनाव पैदा होता है, संताप पैदा होता है। बाहर जो भी हम उपलब्ध कर लेंगे, वह अशांति को जन्म देगा। इसलिए शक्ति की अभीप्सा के साथ-साथ शांति की अदम्य अभीप्सा जारी रहनी चाहिए। तभी तुम्हारी शक्ति भीतर की शक्ति बन पाएगी।

तुम शक्ति और शांति एक साथ खोज रहे हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति शांति के विपरीत जा रही है, समझना कि वह गलत शक्ति है। उसे तुम छोड़ देना। शांति को आधार रखना। जहां भी तुम्हारी शक्ति शांति को खंडित करने लगे, शक्ति को छोड़ देना और शांति को पकड़ना। शांति को सूत्र बना लेना, कसौटी बना लेना। जो शक्ति शांति की कसौटी पर सही उतरे, समझना, वही सोना है। और जो शक्ति शांति की कसौटी पर खरी न उतरे, उसे मिट्टी समझ कर छोड़ देना।

अगर शांति का यह बोध बना रहे, तो हम कभी भी न भटकेंगे। शांति दिशा-सूचक यंत्र का काम करती है। जिस तरफ शांति बताए, समझना कि वही सही दिशा है। और जिस तरफ शांति की सुई इशारा न करती हो, वह गंतव्य नहीं है, वहां से अपने को हटा लेना। शक्ति धोखे में न डाल दे, इसलिए शांति को स्मरण रखना जरूरी है।

जिस शांति की कामना तुमको होगी, वह ऐसी पवित्र शांति है, जिसमें कोई विघ्न न डाल सकेगा। और इस शांति के वातावरण में आत्मा उसी प्रकार विकसित होगी, जैसे शांत सरोवर में पवित्र कमल विकसित होता है। ध्यान रहे, जिसमें कोई विघ्न डाल सके, वह शांति नहीं है।

अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी शांति में विघ्न डाल दिया। लेकिन अगर दूसरा आपकी शांति में विघ्न डाल सकता है, तो वह शांति दूसरे की दी हुई है। क्योंकि हम उसी में विघ्न डाल सकते हैं, जो दी हुई है, अन्यथा विघ्न नहीं डाल सकते। अगर आप शांत बैठे हैं, एक बच्चा वहां शोरगुल कर रहा है और आप कहते हैं कि वह विघ्न डाल रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चा अगर चुप बैठे तो वह आपको शांति देता है, ऊधम करे तो शांति छीन लेता है। वह शांति आपकी नहीं है, बच्चे की है। आप कहते हैं, बाजार में शोरगुल होता है तो मेरा ध्यान भ्रष्ट हो जाता है। ये तो ध्यान है ही नहीं। क्योंकि जिस ध्यान को बाजार भ्रष्ट कर देता है, उस ध्यान की क्या कीमत है! दो कौड़ी का भी नहीं है। वह बाजार का ही दिया हुआ है। आप कहते हैं, जंगल में जा कर बड़ा ध्यान लगता है। वह ध्यान वगैरह नहीं है, जंगल का दान है, जंगल की देन है। जंगल ने जो दिया है, वह आपका नहीं है। बाजार जो छीन लेता है, वह आपका नहीं है। आप वर्षों बैठे रहे जंगल में, पहाड़ पर, आप भ्रम में हैं, जैसे ही उतरेंगे, पाएंगे कि फिर अशांत हो गए। जिसमें कोई विघ्न डाल सके, उसका अर्थ ही हुआ कि वह आपका नहीं है।

उस शांति को खोजना, जिसमें कोई विघ्न न डाल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि विघ्न से बच कर मत खोजना, विघ्न के बीच ही खोजना। बच्चा शोर न भी मचा रहा हो, तो मोहल्ले के और बच्चों को इकट्ठा कर लेना और कहना कि तुम सब शोर मचाओ, मैं ध्यान करता हूं। जिस दिन तुम पाओ कि बच्चे शोर कर रहे हैं और तुम्हारा ध्यान चल रहा है, उस दिन तुम समझना कि यह तुम्हारा है। पहाड़, हिमालय मत खोजना, ठीक बीच बाजार में बैठ कर ध्यान करना। क्योंकि पहाड़ धोखा दे सकता है। पहाड़ शांति देता है, इसलिए धोखा दे सकता है। पहाड़ से बचना, बाजार में ही शांति खोजना। जिस दिन बाजार में ही तुम शांति को पा लोगे, उस दिन उसे तुमसे कोई भी छीन न सकेगा। क्योंकि जो छीन सकता था, उसी के बीच तुमने पा लिया है।

इसलिए घर छोड़ कर मत भागना। गृहस्थ होते हुए संन्यासी हो गए, तो ही संन्यास सच्चा है। अगर घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, धन छोड़ा, और फिर तुम संन्यासी हुए, तो यह संन्यास आरोपित है, झूठा है, कंडीशनल है। अगर पत्नी फिर वापस दे दी जाए, तो वह एक रात में तुम से तुम्हारे संन्यास को छीन लेगी।

इसीलिए तथाकथित संन्यासी बड़ा डरा हुआ रहता है। कहीं स्त्री न छू जाए, डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है इतना? इतना भयभीत संन्यास कहां ले जाएगा? इतना निर्बल संन्यास क्या परिणाम लाएगा? इससे आत्मा सबल हुई कि निर्बल हो गई? यह हम कभी सोचते ही नहीं!

एक आदमी स्त्री को छूने से डरता है। हम सोचते हैं, बड़ा आत्मवान है। स्त्री को छूने से डर रहा है! स्त्री छू जाए तो उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है! यह तो हद की निर्बल आत्मा हो गई। इस निर्बल आत्मा की क्या उपलब्धि है? ऐसे कहता रहता है कि स्त्री तो हड्डी-मांस का ढेर है। और छूने से डरता भी है! तो यह जो ऊपर-ऊपर कह रहा है, यह केवल आयोजन है अपने को समझाने का, भीतर रस मौजूद है। छू ले तो रस का जन्म हो जाए। रस का जन्म हो जाए तो उसे लगेगा कि भीतर पतन हो गया है।

लेकिन कोई स्त्री किसी पुरुष में रस पैदा नहीं करती और न कोई पुरुष किसी स्त्री में रस पैदा करता है। दोनों में रस होता है, तो दोनों उसे बाहर खींच लेते हैं। यह सहारा है आत्मदर्शन का। अगर आपके भीतर वासना है, तो स्त्री की मौजूदगी उस वासना को बाहर ले आती है। स्त्री सिर्फ दर्पण का काम कर रही है, स्त्री सिर्फ निदान कर रही है, वह एक डायग्नोसिस कर रही है कि आपके भीतर क्या छिपा है। उससे भागना क्या! उसे सदा पास रखना अच्छा है, क्योंकि पता चलता रहे कि भीतर क्या है। उसके पास रहते अगर वासना खो जाए, तो ब्रह्मचर्य उपलब्ध हुआ। ध्यान रहे, बाहर से मुक्त शांति और बाहर से मुक्त शक्ति, बस यही दो शर्तें हैं, जीवन पुष्प की भांति खिलने लगेगा। ❑

महात्मा गांधी की कश्मीर यात्रा

❑ अव्यक्त

कश्मीर को लेकर महात्मा गांधी की दृष्टि उस समय के किसी भी अंग्रेज अधिकारी या भारतीय नेता से ज्यादा सुलझी हुई और दूरदर्शितापूर्ण थी। कश्मीर को लेकर जो हालात उस समय बन गये थे, उनमें गांधी को भी कश्मीर जाने दिया जाये या नहीं, इस पर काफी राजनीतिक उठा-पटक हुई थी।

वायसराय माउंटबेटन से लेकर पंडित नेहरू, सरदार पटेल और कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंदर काक तक के बीच विचार-विमर्श और पत्रों के कई आदान-प्रदान हुए थे। अंत में गांधीजी ने इतना तक कह दिया था कि कोई चाहे न चाहे, लेकिन एक निजी यात्रा के तौर पर तो वह जब चाहे वहां जा ही सकते हैं।

29 जुलाई 1947 को गांधीजी ने कहा था—''...अब तो सरकार ही बदल गयी। वायसराय (लॉर्ड वैवेल) बदल गया। मैं अब कश्मीर जाने को तैयार हो गया, जिससे जवाहरलाल अपना काम करते रहें। चूंकि वहां कई झंझट थे, इसलिए मैंने कह दिया था कि वायसराय कह दें कि वहां जाओ तो मैं जाऊंगा। वायसराय ने कुछ समय पहले मुझसे कहा कि मैं अभी वहां आता हूं। आप न जाएं। इसलिए मैं नहीं गया।

...अब सिलसिला ऐसा हो गया कि या तो मैं वहां जाऊं या जवाहर जाएं। लेकिन वह तो जा नहीं सकते। यहीं बहुत काम पड़ा है। ...लेकिन वहां की झंझट को भी तो संभालना होगा। यदि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष (सरदार पटेल) वहां जाएं तो उसका ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है कि वे कश्मीर को भारतीय संघ में मिलाने गये हैं—इस तरह का भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए मैं वहां जाऊंगा।''

लेकिन ध्यान रहे कि केवल वायसराय या नेहरू के चाहने भर से ऐसा नहीं हो सकता था। कश्मीर के राजा और प्रधानमंत्री की सहमति भी अनिवार्य थी। कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री रामचंदर काक नहीं चाहते थे कि गांधी कश्मीर आयें।

उन्होंने नेहरू, पटेल और वायसराय को यह भी संदेश दिया कि राजा स्वयं ऐसा नहीं चाहते कि गांधी कश्मीर आयें। दरअसल इस पूरे प्रकरण में रामचंदर काक की भूमिका संदिग्ध थी। लेकिन जब गांधीजी जाने पर आमादा ही हो गये, तो रामचंदर काक की जिद को अनदेखा करते हुए उनके जाने का इंतजाम किया गया।

अपनी ऐतिहासिक कश्मीर यात्रा से दो दिन पहले 29 जुलाई, 1947 को अपने प्रार्थना प्रवचन में गांधी ने कहा था—''कश्मीर में राजा भी हैं और रैयत भी। मैं राजा को कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूं कि वे पाकिस्तान में न सम्मिलित हों और भारतीय संघ में सम्मिलित हों। मैं इस काम के लिए वहां नहीं जाऊंगा। वहां राजा तो है, लेकिन सच्ची राजा तो प्रजा है।

...वहां के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तान के संघ में जाना चाहते हैं या भारतीय संघ में। वे जैसा चाहें, करें। राजा तो कुछ है ही नहीं, प्रजा सबकुछ है। राजा तो दो दिन बाद मर जायेगा, लेकिन प्रजा तो रहेगी ही। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि यह काम मैं पत्र-व्यवहार के जरिए ही क्यों नहीं करूं। तो मैं कहूंगा कि इस तरह तो मैं पत्र-व्यवहार के जरिए ही नोआखाली का काम भी कर सकता हूं।''

जब पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर छद्म हमले की घटनाएं प्रकाश में आयीं तो उन्होंने 26 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तान और भारत दोनों को स्पष्ट तौर पर चेताते हुए कहा था—''रियासत (कश्मीर) की असली राजा तो उसकी प्रजा है। अगर कश्मीर की प्रजा यह कहे कि वह पाकिस्तान में जाना चाहती है तो कोई ताकत नहीं दुनिया में जो उसको पाकिस्तान में जाने से रोक सके। लेकिन उससे पूरी आजादी और आराम के साथ पूछा जाये।

...उस पर आक्रमण नहीं कर सकते। उसके देहातों को जलाकर उसे मजबूर नहीं कर सकते। अगर वहां की प्रजा यह कहे, भले ही वहां मुसलमानों की आबादी अधिक हो, कि उसको तो हिन्दुस्तान की यूनियन में रहना है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता।''

महात्मा गांधी ने आगे कहा—''अगर पाकिस्तान के लोग उसे मजबूर करने के लिए वहां जाते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को उन्हें रोकना चाहिए। अगर वह नहीं रोकती है तो सारे का सारा इल्जाम उसको अपने ऊपर ओढ़ना होगा। अगर यूनियन (भारत) के लोग उसे मजबूर करने जाते हैं, तो उनको रोकना है और उनको रुक जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है।''

उन दिनों शेख अब्दुल्ला जेल में थे। श्रीनगर पहुंचने पर शेख अब्दुल्ला की पत्नी बेगम अकबर जहां और 500 अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी का जोरदार स्वागत किया। महाराज हरि सिंह और उनकी महारानी तारादेवी ने भी गांधीजी का रस्मी स्वागत अपने महल में किया।

गांधीजी से भेंट के बाद महाराजा हरि सिंह ने जल्दी ही रामचंदर काक को उनके पद से बरखास्त कर दिया। गांधीजी ने शेख अब्दुल्ला की बहुत तारीफ की थी और उसी महीने 29 सितंबर को शेख को भी रिहा कर दिया गया। ❑

'सर्वोदय जगत'
के सभी सुहृद पाठकों, शुभचिन्तकों, लेखकों से अनुरोध है कि अपने महत्त्वपूर्ण आलेख, रचनाएं, विचार एवं सुझाव पत्रिका के लिए भेजें। –सं.

याद आते हैं विनोबा

❑ गिरीश मालवीय

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, 'मैं सनातनी हिंदू हूं. इसलिए मैं मुसलमान, ईसाई, बौद्ध भी हूं. इसी विचार को समन्वयवादी अध्यात्म-विज्ञानी विनोबा ने ऐसे कहा था - मैं हिंदू हूं, यह कहना सही है, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूं, यह कहना गलत है. मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, यह सही है. तो भी इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि मैं तुर्किस्तान में नहीं रहता. मैं जिस जगत में रहता हूं, तुर्किस्तान भी उसी का एक अंग है. इसलिए मैं तुर्किस्तान में भी रहता हूं. लेकिन मेरी जिम्मेदारी उठाने की शक्ति अल्प है, इसलिए मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूं, केवल इतनी सी बात है. क्योंकि वैसे देखा जाये तो मैं हिंदुस्तान में भी कहां रहता हूं? हिंदुस्तान के किसी एक प्रांत के, किसी एक गांव में, किसी एक घर में, किसी एक शरीर के छोटे से हृदय में या कहो कि 'स्व' में रहता हूं. इसका अर्थ यह है कि मनुष्य की मर्यादित शक्ति के अनुसार वह अपने लिए जो धर्म स्वीकार करता है, उस धर्म का पालन करते हुए उसमें दूसरे धर्मों के लिए भी गुंजाइश रखने की सहिष्णुता होनी चाहिए. इसे दर्शनकारों ने समन्वय कहा है.

विनायक नरहरि भावे को 'विनोबा' का नाम महात्मा गांधी ने दिया था. 1916 में जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा देने मुंबई जा रहे थे तो रास्ते में अपने स्कूल और कॉलेज के सभी सर्टिफिकेट जला दिए और गांधीजी से पत्र के माध्यम से संपर्क किया। 20 साल के युवक से गांधीजी काफी प्रभावित हुए और उनको अहमदाबाद स्थित अपने कोचराब आश्रम में आमंत्रित किया। 7 जून, 1916 को विनोबा ने गांधीजी से भेंट की और आश्रम में रहने लगे। वहां उन्होने कई पौराणिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और बस यहीं से शुरू हुआ युवा विनायक नरहरि का विनोबा भावे बनने का सफर। वैसे तो वे अध्यात्म से जुड़े रहे लेकिन उनकी चेतना समाज से जुड़ी थी, इसी कारण संत होने के बावजूद भी उनमें राजनैतिक सक्रियता थी।

गांधी ने जब 1940 में अंहिंसक असहयोग आंदोलन की नींव सत्याग्रह को बनाया, तो विनोबा को पहला सत्याग्रही कहा. विनोबा ने गांधी के सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था। नेहरू का नंबर विनोबा के बाद आया. गांधीजी ने विनोबा को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। गांधीजी का सबसे बड़ा सिद्धांत ट्रस्टीशिप का था। मतलब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो धन शेष है, वह समाज की धरोहर है। धनिक केवल उसका ट्रस्टी है। जरूरत पड़ने पर यह धन समाज के लिए खर्च करना चाहिए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को ही विनोबा ने भूदान आंदोलन के जरिए व्यावहारिक रूप दिया। विनोबा जनसरोकार वाले नेता थे, इसलिए देश को आजादी मिलने और महात्मा गांधी की हत्या के बाद विनोबा ने समाज सुधार आंदोलन की शुरूआत की।

भूदान आंदोलन शुरू हुआ तो करीब दो दशकों तक विनोबा सतत चलते रहे. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक हजारों मील की उन्होंने पैदल यात्रा कीं. जिस जमीन के कारण भाई भाई का सिर काटता है, गोलियां चलती हैं, जिसके लिए लोग सारा जीवन कोर्ट-कचहरियों के चक्कर काटते बिता देते हैं, वह जमीन लोगों ने विनोबा को प्रेम से दी. इस आंदोलन ने एक नैतिक वातावरण पैदा किया जो भूमिहीनों को कुछ राहत दे सका। इसके आलोचकों ने भी इसकी सराहना की, जो इसकी सबसे अच्छी प्रशंसा है। विनोबा इसे आंदोलन न कहकर यज्ञ कहना पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि आंदोलन में भागीदारी करनी पड़ती है, जबकि यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है।

विनोबा की अगली पदयात्रा के दौरान 24 मई, 1952 को एक अनोखी घटना हुई. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मंगरोठ गांव के लोगों ने विनोबा के पास आकर पूरे गांव की जमीन ही विनोबा को दान कर दी. इस तरह ग्रामदान के विचार का जन्म हुआ. यह घटना गांधीजी के ट्रस्टीशिप के विचार को चरितार्थ कर देने जैसी थी. मंगरोठ गांव के लोगों ने कहा कि हमारा गांव अब एक परिवार बन गया है, इसलिए पूरे गांव का लगान ग्रामसभा एक साथ जमा कर देगी. लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी ने कहा कि हम आपके ग्रामदान को नहीं मानते. इस तरह लगान की इकट्ठा वसूली करने का हमें कोई अधिकार नहीं है. उन दिनों गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. बात उनके पास पहुंची. वे तुरंत समझ गए कि अगर इस अच्छी बात को नहीं माना जाएगा तो सरकार की बदनामी होगी. उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया कि पूरे गांव का लगान इकट्ठा वसूल कर लिया जाए।

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने कहा था कि ग्रामदान पूरब की ओर से आनेवाला सबसे अधिक रचनात्मक विचार है. इसमें एक गांव के 75 फीसदी किसान अपनी ज़मीन मिलाकर एक कर देते हैं, जो बाद में सब के बीच बराबर बांटी जाती है. भूदान और ग्रामदान दोनों आंदोलन समय के साथ ठंडे पड़े, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक बड़ा लैंड बैंक छोड़ा, जिसकी दुनिया में दूसरी कोई नजीर नहीं मिलती।

विनोबा ने देश में भूदान आंदोलन इसलिए चलाया था कि भूमिहीनों को जमीन मिल सके लेकिन उनसे एक गलती हुई जो बाद में उन्होंने स्वीकार भी की 1957 में केरल यात्रा के दौरान विनोबा ने लोगों से कहा कि मुझे दान-पत्र नहीं, प्राप्ति पत्र दीजिए. आप अपनी जो जमीन भूदान में देना चाहते हैं, उसे आप ही बांट दीजिए, और जिसे आप बांटें, कागज पर उसका हस्ताक्षर और साक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर लीजिए. यही प्राप्ति पत्र होगा. नहीं तो जमीन यों ही पड़ी रह जाएगी. उन्होंने 1963 में कहा था कि मैं पहले यह मानता था कि जब कोई दान दे चुकता है, तो दान में दी गई जमीन को बांटने का उसे कोई अधिकार नहीं रहता. यह एक बहुत बड़ी भूल हो गई. क्रांति की जिद और पुण्य-मोह के कारण यह स्थिति बनी. यदि उसी समय यह निश्चय किया गया होता कि

दाता खुद ही जमीन बांट दे, तो बहुत सी जमीन झटपट बंट जाती और दाता-आदाता दोनों के बीच प्रेम का नाता भी बनता।

नेहरू को उनके सामने ही विनोबा ने सहज हास्य में कहा था- 'व्हेन ए किंग स्पीक्स, हिज़ आर्मी मूव्स, व्हेन ए बीर्डेड मैन स्पीक्स, हिज़ बीर्ड मूव्स, बट व्हेन नेहरू स्पीक्स, नथिंग मूव्स' (जब कोई राजा बोलता है, तो उसकी सेना हिलती है, जब कोई दाढ़ी वाला बोलता है, तो उसकी दाढ़ी हिलती है, लेकिन जब नेहरू बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं हिलता.) जमीनों को बांटने को लेकर सरकारी अकर्मण्यता का भान उन्हें आंदोलन के दौरान ही हो गया था. यह मामला लगातार लटकता ही रहा। हाल में करीब नौ राज्यों से ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जहां सरकारें स्वयं ही भूदान की जमीनों को कारपोरेट समूहों और हाउसिंग समूहों को पैसों के एवज में हस्तांतरित करती देखी गयीं। आंध्र प्रदेश शहरी विकास प्राधिकरण ने भूदान अधिनियम के प्रावधानों को ताक पर रखते हुए विशाखापत्तनम में भूदान की जमीनें हाउसिंग परियोजनाओं के लिए आवंटित कर दी हैं. रंगारेड्डी जिले में भूदान की ही करीब 1500 करोड़ रुपये की जमीन उद्योगपतियों को बेच दी गई हैं, जिसकी अभी जांच चल रही है. महाराष्ट्र में भी राजनीतिज्ञों, बिल्डरों और हाउसिंग सोसायटियों द्वारा भूदान की जमीनें हड़पे जाने पर जांच चल रही है. बिहार में तो भूदान की जमीनें विधायकों द्वारा ही हथिया लिए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें सभी दलों के विधायक शामिल हैं.

विनोबा को अपनी भूदान यात्रा के दौरान सबसे अधिक ज़मीन बिहार में मिली थी. इस आंदोलन से मिली ज़मीन के बड़े हिस्से पर कानूनी रूप से बिहार में साढ़े तीन लाख से अधिक परिवारों को बसाया भी गया. लेकिन अब दान दाता या उनके परिवारों द्वारा ज़मीन वापस बेचे जाने, उन पर हक़ जताने या फिर लाभान्वित परिवारों द्वारा भी दान में मिली ज़मीन बेचने के कई मामले सामने आते रहते हैं। भूदान की जमीनों को लेकर बहुत शिकायतें आयीं, कुछ शिकायत दान में मिली भूमि की खराब प्रकृति के संबंध में थी। किसानों ने दान में मिली ज़मीन खेती के लायक न होने की शिकायत की। इसके अलावा लालफीताशाही के चलते दान में मिली अधिकतम भूमि को, पुनः वितरित नहीं किया जा सका और परिणामस्वरूप आधी से अधिक भूमि बिना स्वामित्व के राजस्व विभाग की फाइलों में दफन हो गयी।

इस देश में विनोबा जैसे संत का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। खासकर जबसे देश में नवउदारवादी आर्थिक नीति लागू हुई है, तबसे हम देख रहे है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बहुत नुकसान पहुंचा है। आज सरकार की प्राथमिकताओं से भूमि या भूमि सुधार का मुद्दा गायब हो गया है, ऐसे में विनोबा ही तो हैं, जो याद आते हैं। ❑

अनसुलझा है जमीन पर हक का सवाल

सोनभद्र जिले में 37.48 प्रतिशत जंगल है। कुल जनसंख्या 2862559 व कुल परिवार सं. 333174 जिसमें से जनजातियों की जनसंख्या 385018 है।

सोनभद्र दक्षिणांचल की दो बड़ी नदियों से घिरा पठार है। आजादी के बाद यहां भूमि अभिलेख का बन्दोबस्त नजरी तौर पर किया था। कई प्रक्रियाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहां कैमूर सर्वे एजेंसी का गठन 1986 में हुआ और 1978 से पहले बसे किसानों को उनके कब्जे की जमीन पर मालिकाना हक मिला। 1993 में एजेंसी का काम पूरा करके इस क्षेत्र में एआरओ को शेष कार्य सौंप दिया गया, जिसमें 12 राजस्व गांव ऐसे थे जहां का सर्वे फाइनल नहीं हो सका था, तथा कुछ ऐसे मामले भी जिनके आपसी विवाद के फैसले नहीं हो सके थे, इसमें शामिल हैं।

अब समस्या है कि (1) सर्वे एजेंसी का काम पूरा करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए लोग नये-नये दावे करते रहे, जिससे नये विवाद खड़े हो गये। हालांकि उक्त आदेश के हवाले से नये दावे करने की प्रक्रिया पर 2016-2017 से रोक लगा दी गयी है। (2) सर्वे प्रक्रिया के तहत लोगों को कब्जा पर्ची मिली पर कुछ लोगों ने अपनी फाइल बनाकर जमीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, ऐसी जमीनों पर अन्य लोगों ने अपना नाम कराया और 12 साल मौन रहे, आज विवाद खड़ा हो गया है। (3) धारा बीस की जमीन पर भी लोग बहुत पहले से बसे हैं, जिसमें सभी प्रकार की जातियां हैं, उनके नाम पर जमीन नहीं हो सकी।

वनाधिकार कानून 2006 जब लागू हुआ तो यहां 2008 में ग्राम वनाधिकार समितियां बनीं। लोगों ने अपने-अपने दावे दाखिल किये, जिसमें सोनभद्र में कुल 65526 दावे दाखिल हुए। उपखंड वनाधिकार समिति के स्तर पर यह प्रक्रिया लंबित हो गई। ऊपरी दबाव में आनन-फानन में 12020 लोगों को 132484 एकड़ जमीन के पट्टे दिये गये, उस पर भूमि सुधार कराया गया। बाकी पट्टों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जिनको पट्टे मिले उन्हें भी उनके कब्जे की जमीन, जिस पर उन्होंने दावा किया था, उसमें से बहुत कम जमीन पर ही पट्टे मिले। जनजातियों में से भी बहुतों को पट्टे नहीं मिले। सोनभद्र में अन्य परंपरागत बनवासियों की भी संख्या बहुत बड़ी है जो अलग-अलग समय में विस्थापित हुए हैं, पर उनके पास 75 वर्ष का लिखित साक्ष्य भी नहीं है। इधर आदिवासी वनवासी सभा चंदौली ने हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में केस किया, उसके आदेश के आधार पर पुनः जनजातियों से दावे लिए गये। अब ग्राम वनाधिकार समितियों का नवीनीकरण भी हो रहा है। इसमें एक तो बहुत से नये दावे हो गये। अन्य परंपरागत वनवासियों के मामले ऐसे ही लंबित हैं, कुछ ने पुनः दावे कर दिये हैं। अन्य परंपरागत वनवासियों द्वारा एक ग्राम पंचायत से हाईकोर्ट में पीआईएल डाली गयी है। अभी वनवासी सेवा आश्रम ने 9 ग्राम पंचायतों की जानकारी इकट्ठी की है, जहां से 2009 में 1084 किसानों ने दावे दाखिल किये थे, जिसमें से 171 किसानों को 110.503 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। शेष 913 किसानों में से 665 किसानों ने पुनः अपना दावा दाखिल किया है। 159 नये दावे भी दाखिल किये गये हैं।

यह प्रक्रिया पुनः उपखंड स्तर की समिति तक पहुंच गई है पर अब वनाधिकार दावों का उचित प्रक्रिया से निस्तारण हो ताकि किसानों को उनके हक प्राप्त हो सकें और जंगल भी सुरक्षित रह सकें। इसके लिए पहल की आवश्यकता है। **–शुभा प्रेम**

गांधी-150 व विनोबा 125
जयंती वर्ष पर विशेष अभियान

गांधीजी ने कहा था कि सत्याग्रह कोई निःशस्त्र लड़ाई का माध्यम नहीं है। सत्याग्रह का मतलब है सत्य का आग्रह। हम अपनी बात को सही मानकर लोगों के बीच में पूरी नम्रता, पूरी उदारता और बगैर आग्रह के साथ सत्य को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, तो यह भी सत्याग्रह है। रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सत्य का प्रकटीकरण हो सकता है। रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से ही हम अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए सत्याग्रह और रचनात्मक कार्यक्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब लोगों को सत्य की राह पर चलने लायक बनाने के लिए प्रेरित करना तथा उसकी प्रक्रिया चलाना है। समाज में कमजोर लोगों को ऊपर उठाना, उन्हें योग्य बनाना, गांधी-विचार में विश्वास करने के नाते, वाहक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है।

'गांधी-150' के उपलक्ष्य में हमें चिंतन करना है कि जिस तरह से बापू चाहते थे, क्या उस तरह से हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? दूसरा, आज की परिस्थिति में समाज में लोगों के आवश्यक सवालों को समझकर उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हमें यह भी सोचना है कि नयी पीढ़ी के बीच इस विचार को ले जाने की हमारी कार्यपद्धति क्या होगी।

हम 'गांधी-150' के उपलक्ष्य में जगह-जगह प्रतीकात्मक कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें उससे आगे बढ़कर मूल कार्य का नियोजन करना है। गांधीजी का विचार केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रहेगा। औपचारिक कार्यक्रमों से ऊपर उठकर समाज में प्रभावी ढंग से प्रत्यक्ष आचरण को मूर्त रूप दें, यह आज की जरूरत भी है। लोगों के बीच जाने के लिए एक विशेष मौका भी है।

2 अक्तूबर 2019 को जब देशभर में जगह-जगह गांधी-जयंती मनायी जायेगी, तब हमारे प्रदेश सर्वोदय मंडलों की जो इकाइयां हैं, उनके माध्यम से कितनी जगहों पर कौन-कौन-से कार्यक्रमों की तैयारी हो सकती है, इसके प्रयास होने चाहिए। इस अभियान के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश में कम-से-कम 150 जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाय।

यहां गौर करने की बात है कि हमारी औपचारिकता और अनौपचारिकता आवश्यक निर्माण के काम में हमारे कार्यक्रमों से प्रकट होगी। आज हम देख रहे हैं कि हम और हमारे कार्यक्रम लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे काम के तौर-तरीकों में कोई नयापन नहीं आ रहा है। आज जो हमारे काम का स्वरूप है, वह व्यापक समाज के तबकों से नहीं जुड़ पा रहा है। हम अपने आप में एक पवित्रता की चादर ओढ़े हुए हैं। इससे न तो हमारी नैतिकता बढ़ रही है, और न ही समाज के सकारात्मक बदलाव का कोई काम हो रहा है।

हमारा कार्यक्रम

हमें अपने संगठन को फिर से समाजव्यापी बनाने का अभियान चलाना होगा। इस दृष्टि से 'गांधी-150' के इस अवसर पर देशभर में सक्रिय अपने प्रदेश सर्वोदय मंडलों के माध्यम से कम-से-कम 150 स्थानीय जिला एवं तहसील की इकाइयों को पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? इकाइयों को संभालने की क्षमता रखने वाले साथियों को सक्रिय करने का यह महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। इसे हम अपना प्राथमिक कार्यक्रम मान लें। हमको 150 से ज्यादा जगहों पर नये सिरे से, नये लोगों के साथ अपने काम की शुरूआत करनी है।

हर राज्य में ऐसे 4-5 लोग तो मिल ही जायेंगे, जो राज्य स्तर पर काम कर सकते हैं। अगर एक-एक व्यक्ति 10 से 12 यूनिटों को ऊर्जावान बनाने का काम करेगा तो देश स्तर पर सर्वोदय विचारों पर कार्य करने वाली 200-300 यूनिटें तो ऐसे खड़ी हो ही जायेंगी। यदि किसी राज्य में ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले दो लोग भी हैं तो भी उस राज्य में 20-25 यूनिटें खड़ी हो जायेंगी। यानी हर जगह हमें एक ऐसे आदमी को ढूंढ़ना है, जिसे गांधीजी के मूल्यों में विश्वास हो और वह सत्य, अहिंसा, समता, सर्वधर्म समभाव तथा अंतिम आदमी की भलाई के विचार से ओतप्रोत हो।

गांधीजी में जिनकी श्रद्धा है, ऐसे लोगों को हमें जोड़ना है, और उस जगह पर इन्हीं लोगों के माध्यम से एक समिति बनाकर संयोजन की जिम्मेवारी उन्हें देनी है। इसकी जानकारी हमारे केन्द्रीय कार्यालय को भी उपलब्ध हो, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए।

हर यूनिट के संयोजक को चाहिए कि वह स्थानीय समिति बनाकर 2 अक्तूबर के पहले अपने क्षेत्र में लोगों के प्रबोधन का एक कार्यक्रम रखे। सभाओं में गांधीजी के बारे में जिनका अध्ययन हो, अभिव्यक्त करने की जिनकी क्षमता हो, ऐसे लोगों को हम आमंत्रित कर सकते हैं। वह बड़ा पत्रकार, बड़ा विचारक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, इतिहासकार या क्रांतिकारी भी हो सकता है।

गांधी-जयंती के बाद हम गांधी परीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के बीच सम्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए एक पुस्तक तैयार करनी होगी, जिसमें गांधीजी से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी और वह पुस्तक स्थानीय व सरल भाषा में होगी। ताकि इस पुस्तक को पढ़कर विद्यार्थियों के मन में सहजतापूर्वक गांधीजी के बारे में सामान्य समझ बन सके।

हम क्या करना चाहते हैं!

हमको करना यह है कि आज समाज में जिस प्रकार की उथल-पुथल मची हुई है, सम्प्रदायों के माध्यम से आर्थिक अव्यवस्था, जाति-धर्म, सम्प्रदायों को लेकर राजनीतिक विचारों में जिस तरह से दूषित वातावरण पैदा हुआ है, विकास के नाम पर अमीरों को और अमीर व कमजोरों को और कमजोर बनाया जा रहा है, यह सही मायने में समाज व देश को छिन्न-भिन्न करने की एक सोची-समझी कोशिश है। इन हालात से हम चिंतित हैं, और इसमें बदलाव लाने की तैयारी हम सबको करनी है, इसके लिए एक स्वस्थ माहौल बनाना है। यह माहौल कैसे बनाया जाय, इसके लिए संघर्ष कैसे खड़ा किया जाय, यह हम सभी की चिंता है।

अब सवाल उठता है कि हमारी जमीन क्या होगी? इसके लिए जगह-जगह हमारे विचारों की डोर, जो इन स्थानीय साथियों के रूप में है, उसके माध्यम से एक साथ सभी को जोड़ने की प्रक्रिया चलानी होगी। आज़ादी के आन्दोलन में गांधीजी ने राष्ट्रीय स्तर पर जगह-जगह लोगों को प्रेरणा देने का महत्त्वपूर्ण काम किया। उन्होंने योजनाबद्ध संगठन के माध्यम से सघन समाज रचना का कार्य वर्षों तक किया। गांधीजी ने इसी के तहत अपने आप में और अपने साथियों के अन्दर नैतिक बल जगाया था। उनके सत्य की शक्ति का परिणाम यह हुआ कि देश और दुनिया का साम्राज्य हिल गया। उसी तरह आजादी के पहले देश में जो छोटे-छोटे तबके—धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर—अपनी अलग-अलग विचारधारा के अनुसार देश को बाँटने का काम करते थे, गांधीजी के कारण उनका यह काम मुश्किल हो गया था। दुनिया के सामने गांधीजी की शक्ति एक व्यापक मानवीय अवधारणा के रूप में आ गयी थी। हम उसी विचारधारा के अनुयायी हैं। इसलिए हमें अपनी जमीन तैयार करनी है।

2 अक्टूबर के बाद हम जब बैठेंगे, तब जितनी भी यूनिटों में यह कार्यक्रम होंगे, उन सभी यूनिटों के प्रमुखों यानी संयोजकों के साथ बैठक करेंगे। वह बैठक दो दिन की होगी, इसमें आगे के एक वर्ष के कार्यक्रमों का नियोजन भी होगा। औपचारिक कार्यक्रमों से आगे बढ़कर कुछ समाजव्यापी पहल की योजना बनेगी। साथ ही इकाइयों को सक्षम करने की योजना बनायेंगे और तीन साल के भीतर देश भर में उससे दुगुनी इकाइयों का निर्माण हमें कैसे करना है, इसकी योजना भी बनायेंगे।

यह काम दिखने में छोटा है, लेकिन छोटा काम भी जब धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो वह एक सामर्थ्यशाली कार्य के रूप में प्रकट होता है। इसलिए जितना हमारी क्षमता से हो सकता है, उतना हम करेंगे। उतनी ही योजना बनायेंगे। लेकिन हम विचार व्यापक स्तर पर करेंगे।

इसी तरह के प्रत्यक्ष काम करके गांधी-150 और विनोबा-125 जयंती वर्ष के अवसर पर हम उन्हें अपनी सच्ची आदरांजलि–सुमनांजलि अर्पित कर सकते हैं। ❑

संयुक्त राष्ट्रसंघ में ऐतिहासिक समझौता

कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ हिंसा और उत्पीड़न पर पाबंदी लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता पारित हो गया है. जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शताब्दी सम्मेलन के दौरान इस समझौते की घोषणा हुई जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने सदस्य देशों और अन्य हिस्सेदारों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। जेनेवा में सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्धियों की पुरानी विरासत पर अब नया निर्माण हो रहा है. सामाजिक संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास हो रहे है. समझौते के बाद कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को 'समान अवसरों के लिए एक ऐसा ख़तरा' माना जाएगा जिससे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, यौन और आर्थिक हानि हो सकती है. साथ ही अच्छे और उपयुक्त कार्य को सुनिश्चित करने में इसे अस्वीकार्य और अनुचित बताया गया है.

इस संधि पर हस्ताक्षर के बाद सदस्य देशों की जिम्मेदारी होगी कि वे सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करें चाहे उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो. इस समझौते में ट्रेनी, इंटर्न, अप्रैंटिस, नौकरी ढूंढ रहे लोग और वे कर्मचारी भी आएंगे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है. इनमें अनौपचारिक सेक्टर में काम करने वाले 2.5 अरब लोग शामिल हैं, जिनकी सामूहिक क्षमता का इस्तेमाल कामगारों के अधिकारों को बढ़ावा देने में किया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के त्रिपक्षीय ढांचे के अनुरूप सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों के प्रतिनिधियों ने एक मतदान में हिस्सा लिया, जिसमें इस समझौते के पक्ष में 439 वोट पड़े जबकि विरोध में महज़ सात मत थे. 30 अनुपस्थित रहे. 2011 के बाद यह पहली बार है, जब नई संधि पारित हुई है और यह क़ानूनी रूप से बाध्यकारी होगी. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में 2011 में घरेलू कर्मचारियों के संबंध में एक संधि को पारित किया गया था. सम्मेलन में बताया गया कि सम्मान के अभाव में, कार्यस्थल पर गरिमा नहीं होती और न ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाता है. ऐसे में इस समझौते और नए मानकों से कार्यस्थल पर मौजूदा ज़रूरतों के अनुरूप बदलाव लाने में मदद मिलेगी.

यूएन एजेंसी के महानिदेशक गाय राइडर ने बताया कि अगला कदम इन संरक्षणों को अमल में लाना होगा ताकि महिलाओं और पुरुषों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित, अच्छे कार्यस्थल का निर्माण किया जा सके. श्रम सम्मेलन में अपने भाषण में महासचिव गुटेरेश ने शताब्दी घोषणा का स्वागत किया और कहा कि उज्ज्वल भविष्य की दिशा में दरवाज़ा खोलने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है.

शताब्दी घोषणा हमारी इच्छाओं और इरादों के वक्तव्य से कहीं बढ़कर है. जिस नज़रिए से हम विकास को देखते हैं उस पद्धति में यह तब्दीली का प्रस्ताव है. आर्थिक और सामाजिक नीतियों के केंद्र में मानव कल्याण होना चाहिए.

हर जगह हम विश्वास में कमी और डर भड़काने की प्रवृत्ति को बढ़ता हुए देखते हैं. आप इसे मोहभंग काल भी कह सकते हैं. महासचिव गुटेरेश ने कहा कि विश्वास फिर से कायम करने का सबसे प्रभावी तरीक़ा लोगों को सुनना और उनसे किए वादों को पूरा करना है. यूएन महासचिव ने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों, जनसंख्या रुझानों, तथा तकनीकी और सामाजिक बदलावों का सामना कर रही है और इस वजह से कामकाज के तरीक़ों पर भी असर पड़ रहा है.

इन बदलावों से अवसर तो पैदा हो रहे हैं लेकिन इससे पैदा होने वाले डर और घबराहट पर नियंत्रण भी पाना होगा। ❑

हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

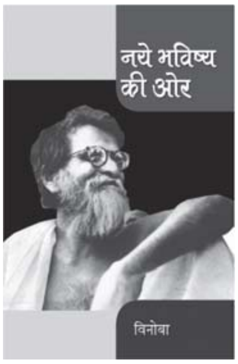

नये भविष्य की ओर

सागर गागर में समा नहीं सकता। विनोबा के विशाल और मौलिक शब्दों का सार भी कुछ पन्नों में नहीं उतारा जा सकता। शब्द के लिए ब्रह्म शब्द का उद्‌घोष करने वाले विनोबा के जीवन अनुभवों से निकलने वाले हर शब्द में शास्त्र की महिमा समाहित है। इन शब्दों का उनके भावों के अनुसार अनुशीलन कर पाना पाठक के ग्राह्यता-सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यह विनोबा की 125वीं जयंती का वर्ष है। इस अवसर पर पूरे देश में विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और इन कार्यक्रमों के जरिये विनोबाजी के विचारों से लोगों को अवगत कराने का उद्यम किया जायेगा। विनोबा विचार एक महासागर है। सबके लिए इसमें गोते लगाना सम्भव नहीं है। उन्हें तो तत्काल प्यास बुझाने के लिए दो घूँट पानी चाहिए।

'नये भविष्य की ओर' शीर्षक से संकलित इस पुस्तक के दो भाग हैं। एक में विनोबा के क्रांतिकारी चिन्तन को समेटा गया है तो दूसरे में परिवर्तन के आयाम से संबंधित सामग्री है। जाति की समाप्ति, साम्ययोग, लोकनीति, गोसेवा व गोरक्षा जैसे विषयों पर व्यक्त विचार मौलिक चिन्तन को उत्प्रेरित व निर्देशित करते हैं। विनोबा के विचार पाथेय के साथ उनका सरसरी तौर पर परिचय कराने वाली सामग्री भी इस पुस्तक में जोड़ी गयी है। हमें पक्का यकीन है कि यह पुस्तक पाठकों के लिए एक मार्गदर्शिका की भूमिका अदा करेगी।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गुलामी के खिलाफ एक आंदोलनकारी की संघर्ष-गाथा

प्रस्तुत पुस्तक में डॉ. बनवारीलाल शर्मा के साथ के जीवन-अनुभवों को पिरोया गया है, उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के ओझल पक्षों एवं प्रसंगों को अनावृत किया गया है। इस पुस्तक का प्रकाशन हमारे लिए इसलिए और ज्यादा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हिन्दी पट्टी में ऐसी संस्मरणात्मक पुस्तकों का अभाव है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि दुनिया के हर असाधारण काम असाधारण व्यक्ति ही करते हैं या करेंगे। क्या साधारण लोग असाधारण भूमिका नहीं निभा सकते? वैसे तो हर व्यक्ति कुछ-न-कुछ असाधारण योग्यता रखता है; क्योंकि वह अद्वितीय होता है। एक जैसा हू-ब-हू दूसरा नहीं होता, जुड़वा भी नहीं। लेकिन यह अद्वितीयपन अवसर की सुलभता के अभाव के कारण दबा-कुचला रह जाता है। हमारी दृष्टि भी साधारण में असाधारण तलाशने की नहीं है।

साधारण वेश-भूषा, रहन-सहन, खान-पान, परिधान, व्यवहार अर्थात् ऊपर से जो भी दीखता है, सब साधारण। पर अंदर! अंदर तो एक गणितज्ञ की तीक्ष्ण बुद्धि-विवेक और हृदय में वात्सल्य। इन गुणों के साथ-साथ मानवीय मूल्यों के प्रति निरंतर व अटूट प्रतिबद्धता ने डॉ. शर्मा को अविस्मरणीय बना दिया है।

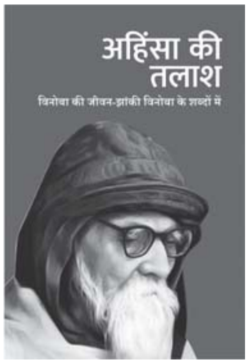

अहिंसा की तलाश

'**अ**हिंसा की तलाश' एक अमर कृति है। इसमें विनोबा ने अपने जीवन और दर्शन का सार समेट दिया है। इसमें कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है, जिसे पढ़कर होठों पर हास्य की रेखा दौड़ जाती है। यह एक वाकया है—पिता-पुत्र के संबंध का। विनोबाजी लिखते हैं कि उनके पिता उन्हें बात-बे-बात पीटा करते थे, कारण कुछ समझ में नहीं आता था, कोई गलती नजर नहीं आती थी। फिर एक दिन उन्होंने पीटना बंद कर दिया। तब जाकर रहस्य उजागर हुआ कि पुत्र को 16 वर्ष की उम्र तक ताड़ना देनी चाहिए, ऐसी शास्त्रीय मान्यता का अनुपालन मात्र हो रहा था। इतना ही नहीं, पिता की इस कार्यवाई को अपनी मधुर स्मृतियों में संजोये रखने की बात भी लिखी है। इस तरह विनोबाजी की मौलिक विश्लेषण दृष्टि का परिचय भी पाठक को मिलता है। वे लिखते हैं कि भारत की जनता के समक्ष अहिंसा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यहीं वह यह भी बताते हैं कि अंग्रेजों ने एक तरह से लोगों को निहत्था ही बना डाला था। एक बाघ जब कई व्यक्तियों को मार डालता था, तब बड़ी मुश्किल से किसी को बंदूक का लाइसेंस दिया जाता था। इस निःशस्त्रीकरण को इतनी सकारात्मक दृष्टि से परखना, एक अद्वितीय विचार-भंगिमा का परिचय देता है। इस पुस्तक को पढ़ना एक रोमांच से एक साहसिक यात्रा से गुजरने की तरह है।

ये तीनों पुस्तकें सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने प्रकाशित की है। ये हमारे सभी रेलवे बुक स्टालों पर उपलब्ध हैं। आप अपना क्रयादेश सीधे सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-221001 के पते पर भी भेज सकते हैं।

–प्रकाशक

सम्पत्ति बनाम आय

❑ रिचर्ड महापात्रा

दुनिया को धीरे-धीरे एहसास हो रहा है कि आय अथवा जीडीपी से खुशहाली नहीं मापी जा सकती। अर्थव्यवस्था के मापक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कितना प्रभावी है? यह बहस लंबे समय से जारी है। अब दुनिया भर में खुशहाली के मापक के रूप में जीडीपी को शंका की नजर से देखा जा रहा है। भारत के उदाहरण से भी इसे समझा जा सकता है। हाल में स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों ने भारत की उच्च जीडीपी दर के दावे पर सवाल खड़े किये हैं। इसके अलावा यह बहस भी जारी है कि इतनी ऊंची आर्थिक विकास दर के बाद भी सम्पन्नता क्यों नजर नहीं आ रही है। भारत में अब भी 22 करोड़ गरीब हैं और बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा है।

इसी समय एक समानांतर घटना और हो रही है। बहुत सी राज्य सरकारों ने लोगों की खुशहाली पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में खुशी और खुशहाली स्कूल के विषय हैं। हमारा पड़ोसी देश भूटान लोगों के विकास के लिए खुशहाली सूचकांक पर महारथ हासिल कर चुका है। इन दो घटनाक्रमों से एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर क्यों अर्थव्यवस्था के परंपरागत मापक से लोगों के समग्र विकास की झलक नहीं दिखाई देती? यूनाइटेड नेशंस इनवायरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) के मुख्य पर्यावरण अर्थशास्त्री पुष्पम कुमार कई सालों से अर्थव्यवस्था को मापने के तरीके में बदलाव लाने की दिशा में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने 140 देशों को समावेशी सम्पन्नता मापने के लिए तैयार किया है। उन्होंने देश की सम्पन्नता लोगों की आमदनी के बजाय सामाजिक, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य के नजरिये से मापने पर जोर दिया है। इनक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट प्रकाशित करने में भी उनकी अग्रणी भूमिका है। यह रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित हुई थी।

उन्होंने बताया कि हम संपत्ति और आय के बीच उलझ जाते हैं। ये दोनों, लोगों की आर्थिक खुशहाली और पूंजी को प्रदर्शित करने के अलग-अलग माध्यम हैं। वह मानते हैं, ''जीडीपी आय का मापक है, सम्पत्ति का नहीं। जीडीपी से देश की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य पता चलता है। यह प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संपत्ति की जमा पूंजी को नहीं दिखाता। अगर अर्थव्यवस्था का अंतिम लक्ष्य खुशहाली को बढ़ावा देना होगा तो जीडीपी मनुष्य की प्रगति का खराब मापक होगी।''

यह रिपोर्ट एकमात्र ऐसी रिपोर्ट है जो वैश्विक खुशहाली के आधार पर इसके मापदंड पर नजर रखती है। इसमें देश के विकास को केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिस्थितिक पूंजी के आधार पर परखा जाता है। रिपोर्ट में 140 देशों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 44 देशों में 1998 के बाद प्रति व्यक्ति समावेशी पूंजी (इनक्लूसिव वेल्थ) आय में वृद्धि होने के बावजूद कम हुई है। इसका मतलब है कि जीडीपी आधारित आर्थिक विकास में तेजी के बाद भी देश के इनक्लूसिव वेल्थ में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पर्यावरण को पहुंचे नुकसान के रूप में आर्थिक विकास हमें किस प्रकार प्रभावित करता है। इसीलिए यह जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 1990 के बाद इनक्लूसिव वेल्थ में प्राकृतिक पूंजी की हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि मानवीय और भौतिक पूंजी में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है।

भारत में भी यह चलन देखा जा रहा है। 2005-15 के दौरान जब लगभग सभी राज्यों में जीडीपी की औसत विकास दर 7-8 प्रतिशत थी, तब भी 11 राज्यों की प्राकृतिक पूंजी में गिरावट आयी थी। इस दौरान 13 राज्यों में 0-5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और केवल तीन राज्यों की प्राकृतिक पूंजी में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि देखी गयी। आर्थिक विकास का यह मॉडल देश के दीर्घकालीन विकास के लिए उपयुक्त नहीं है।

इससे यह भी पता चलता है कि सम्पत्ति में भी असमानता बढ़ रही है। हम यह जानते हैं कि केवल मुट्ठी भर लोगों के पास ही अधिकतर आय केन्द्रित है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देश प्राकृतिक पूंजी लगातार खो रहा है और निजी आय पुरानी लागत पर बढ़ रही है। ये प्राकृतिक संसाधन गरीबों की बड़ी पूंजी हैं। प्राकृतिक पूंजी से कुछ लोगों को तो फायदा पहुंचेगा लेकिन गरीब आर्थिक विकास के दायरे से बाहर छूट जायेगा। ❑

2018 में क़रीब 5000 करोड़पतियों ने छोड़ा देश

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, 2018 में देश छोड़ने वाले अमीरों की संख्या के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया. पिछले साल करीब 5000 करोड़पति या उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों ने देश छोड़ दिया. यह संख्या देश के उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या का कुल दो फीसदी हिस्सा है. वहीं न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रपट के अनुसार 2017 में 7,000 करोड़पतियों ने अपना स्थायी निवास किसी और देश को बना लिया. वर्ष 2016 में यह संख्या 6,000 और 2015 में 4,000 थी. रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में देश छोड़ने वालों की संख्या ब्रिटेन से भी अधिक रही जहां ब्रेक्जिट के कारण राजनीतिक उठापटक के हालात बने हुए हैं.

दरअसल, पिछले तीन दशकों से ब्रिटेन बड़ी संख्या में अमीरों को आकर्षित करने के मामले में टॉप देशों में शुमार रहा है. लेकिन ब्रेक्जिट के कारण पिछले दो सालों में हालात बदल गए हैं. वहीं, अमीरों के पलायन के मामले में चीन पहले नंबर पर है जिसका कारण अमेरिका के साथ जारी उसकी व्यापारिक लड़ाई है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उतार-चढ़ाव के बीच रूसी अर्थव्यवस्था के फंसे होने के कारण अमीरों के पलायन के मामले में रूस दूसरे स्थान पर है. वहीं दूसरी ओर दुनियाभर से पलायन करने वाले लोगों के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पसंदीदा देशों में सबसे ऊपर हैं.

रिपोर्ट में तेजी से बढ़ती असमानता की खाई का उल्लेख करते हुए उसे भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे गंभीर समस्या बताया गया है. दरअसल देश में उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों के पास देश की लगभग आधी संपत्ति है. वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा जहां औसतन 36 फीसदी का है तो वहीं भारत में 48 फीसदी है. ❑

धारावाहिक

बा : भारत वापसी

❑ गिरिराज किशोर

पहला गिरमिटिया जैसा चर्चित उपन्यास प्रस्तुत कर चुके गिरिराज किशोर ने अब बा पर कलम उठायी है। बा पर कुछ भी लिखना बहुत कठिन था। उनके बारे में उपलब्ध जानकारियां नहीं के बराबर हैं। 'पहला गिरमिटिया' की सामग्री जुटाने में उन्हें कोई दो हजार पुस्तकों से मदद मिली थी। और 'बा' उपन्यास लिखते समय मुश्किल से दो पुस्तकें सामने थीं। वे उन सब लोगों से मिले, जिन्हें कस्तूरबा के बारे में थोड़ी-सी भी जानकारी थी और उन जगहों पर गये, जहां बा ने थोड़ा या बहुत समय बिताया था। इस तरह बनी यह कथा, यह इतिहास बा के अलावा खुद बापू के दो और रूपों को भी सामने रखता है–पति और पिता का रूप। प्रस्तुत है 'बा' का अगला अंश, जो बा-बापू : 150 के अवसर पर क्रमशः प्रकाशित हो रहा है। –सं.

यह समाचार अविलंब बापू के पास पहुंच गया। वे सुनकर अंदर तक आहत हो गये। वे पहली बार इतना नाराज हुए जितना पहले कभी नहीं हुए थे। उनका विश्वास टूटकर बिखर जाने की तरह था। बा को भी अपनी गलती का एहसास रास्ते भर होता रहा था। वहां से लौटकर बापू से माफी मांगी। बापू का निशाना बा नहीं थी। शाम को सभी के सामने उन्होंने अपने मन की बात कही—

'मैं इस घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं।' बापू ने कहा, 'मैंने अपनी पत्नी की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। महादेव भाई को भी अपनी पत्नी की शिक्षा पर ध्यान न देने का दोषी मानता हूं। अगर महादेव ने ऐसा किया होता तो दुर्गाबिन बा के साथ न जाकर, बा को समझाती कि वह न मंदिर न जाये।'

महादेव भाई बापू की इस आलोचना से टूट गये। अगले दिन पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र देने की अनुमति मांगी थी। इस बात से बापू और भी आहत हुए और महादेव से कहा, 'तुम मेरे बेटे की तरह हो, क्या मैं तुम्हारी किसी गलती के लिए तुम्हें कह भी नहीं सकता?'

महादेव और मोहनदास के बीच की खाई समय के साथ पट गयी। उन दोनों ने अपनी-अपनी आत्माएं उपवास रखकर दोषमुक्त कर लीं। पर बा जीवन भर भूल नहीं पायी।

जिस राजकोट में मोहनदास के पिता दीवान रहे थे उसी राजकोट के वर्तमान दीवान वहां की जनता के दुर्भाग्य बन गये थे। खासतौर से राज्य की महिलाओं के लिए। लगातार राज्य की लड़कियों के साथ जबर्दस्ती और बदफेली की खबरें आती रहती थीं। ठाकौर सुंदर लड़कियों को उठवा लेता था। ट्राम्बा गांव के पास अपनी ऐशगाह, ग्रीष्म बंगले में उपभोग करके छुड़वा देता था। ऐसी ही एक खबर की जब पुष्टि हो गयी कि ठाकौर ने किसी स्त्री का शील भंग किया है तो जनता ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रहियों में जो पहली बंदी बनायी गयी, वह थी सरदार पटेल की बेटी मणिबेन। जब यह समाचार सेवाग्राम पहुंचा तो कस्तूरबा व्याकुल हो उठी। नये लोगों में मणिबेन बा के सबसे अधिक निकट थी। बा ने कहा, 'राजकोट में यह सब क्या हो रहा है, यह मामला अब मात्र राजनीतिक अधिकारों का ही नहीं रहा, महिलाओं के सम्मान से जुड़ गया। मैं खामोश नहीं रहूंगी। कुछ करना होगा।'

गांधीजी ने हरिजन में लिखा, '...मेरी पत्नी वहां (राजकोट) की जनता की पीड़ा से दुखी है। हालांकि वह भी मेरी तरह बुढ़ा गई है, जेल की कठिनाइयों को सहन करने में मुझसे भी कम समर्थ है। वह राजकोट जाना चाहती है। जब तक यह समाचार छपेगा तब तक वह राजकोट जा चुकी होगी...।'

वास्तव में लंबे समय तक बापू के साथी रहे अम्बालाल साराभाई की बेटी मृदुला साराभाई के साथ बा राजकोट जा चुकी थी। अपने पोते कान्हदास को बापू के संरक्षण में यह सोचकर छोड़ गयी थी कि जल्दी लौट आयेगी। लेकिन कान्हदास के निरंतर रोते रहने के कारण बापू को उसे उसके बा-बापू के पास भेजना पड़ा था।

राजकोट पहुंचते ही बा ने महिलाओं को संबोधित किया और कहा, संगठित होकर अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिरोध करना होगा। ठाकौर कस्तूरबा की गतिविधियों से परिचित था। उसके लिए बा का राजकोट में होना अपने में समाचार भी था और झटका भी। 3 फरवरी 1939 को, बा को आकस्मिक ढंग से बंदी बना लिया गया और ट्राम्बा ले जाकर उसी शाही बंगले में नजरबंद कर दिया गया, जिसके बारे में ठाकौर के द्वारा महिला के साथ की गयी बदफेली की अफवाह फैली थी।

6 फरवरी 1939 के हरिजन में बापू ने लिखा...'कस्तूरबा राजकोट की बेटी है। इसमें कोई शक नहीं कि राजकोट भारत के नक्शे पर नगण्य है लेकिन मेरे और कस्तूरबा के लिए...राजकोट स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी होगा। जब कभी स्वतंत्रता मिलेगी, कस्तूरबा का महत्त्व होगा...सत्याग्रह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें कमजोर से कमजोर और बूढ़े से बूढ़े भी भाग ले सकते हैं, दिल मजबूत होने चाहिए।'

बापू को जब पता चला कि बा को काल-कोठरी में रखा गया है तो उन्होंने एक अनुभवी व्यक्ति की तरह सान्त्वना भेजी, 'अब तुम्हें अकेले रहने का भी अनुभव हो गया, मुझे नहीं याद, तुम पहले कभी इस तरह अकेली रही हो। राम सदा तुम्हारे साथ रहे हैं। जब राम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं।

मणिबेन और मृदुला साराभाई के बारे में पता चल जाने पर कि उन दोनों को ट्रांबा भेज दिया गया तो बापू ने उन दोनों को भी लिखा, 'यह ईश्वर की कृपा है कि तुम दोनों भी वहां हो।'

बापू बा के बारे में चिन्तित थे।

बापू बा के बारे में उसी प्रकार खबर रखते थे जैसे बा ऐसे में बापू के बारे में रखती थी। बा का काल-कोठरी में डाल दिया जाना सबके लिए एक असह्य वेदना की तरह था। राजकोट में बा को काल कोठरी में डाल देने पर प्रतिक्रिया का उसी तरह नहीं पता चल रहा था, जैसे ढकी वस्तु का तब तक पता नहीं चलता जब तक वह खदबदाकर बाहर न आ जाये। बापू पहले इस संघर्ष में उतरकर उसे उलझाना नहीं चाहते थे लेकिन अब उन्होंने राजकोट जाकर ठाकौर से बात करने का निश्चय कर लिया था। केवल उन सुधारों के बारे में ही नहीं जिनके बारे में किये गये वायदों से पलट गये थे, बल्कि कस्तूरबा और दूसरी महिलाओं को बंदी बनाये जाने के बारे में भी। बापू को वहां जाकर पता चला कि जेल में प्रतिरोधियों से किये जा रहे दुर्व्यवहार के कारण वे भूख हड़ताल पर चले गये हैं।

गांधीजी सवेरे ही राजकोट पहुंचे थे। सबसे पहले वे जेलों में बंद बंदियों से मिले। बंदियों को लगा, जैसे नर्क में शीतल हवा का झोंका आ गया हो। कैदियों से बात करके वे आश्वस्त हो गये कि जो दंड वे भोग रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। वहां से वे ट्रांबा जाकर कस्तूरबा, मणिबेन और मृदुला साराभाई से मिले। राजकुमार यानी ठाकौर और उसके मंत्री टाल-मटोल का रवैया अपना रहे थे। बापू को यह स्पष्ट हो गया था कि बिना दबाव के वे लोग टस से मस होने वाले नहीं हैं। उन्हें एक ही रास्ता नजर आया, आमरण अनशन। उन्होंने ठाकौर को अगले दिन अपराह्न 3 बजे तक जवाब देने का नोटिस दे दिया। वाइसराय लार्ड लिनलिथगो को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया। जब तीन बजे तक जवाब नहीं आया तो बापू ने 3 मार्च को अपने आवास पर ही उपवास आरंभ कर दिया। छोटी-सी जगह की यह घटना देश की सबसे बड़ी खबर बन गयी। बापू ने सुशीला नैयर को कस्तूरबा के पास उपवास का समाचार लेकर भेजा ताकि बाद में किसी और से सुनकर धक्का न लगे। कस्तूरबा को झटका तो लगा पर दुःख ज्यादा हुआ, यही कहा, 'मुझे पहले बता देते कि उपवास जरूरी है...'

'किसी को कुछ पता नहीं था, बापू ने सवेरे ही बताया। सुशीला ने कहा। बापू का लिखा संदेश बा को दिया। उसमें लिखा था, 'मैं समझता हूं, तुम शांत और संतुलित हो, अगर नहीं तो मेरे पास आ जाओ।'

बा की समझ में नहीं आया कि वे उस संदेश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। सुशीला ने समझाया, बापू का कहना है कि अगर सहमत हों तो वे प्रशासन से कहेंगे कि बा को उनके पास रहने की अनुमति दे दे।

बा को झटका लगा। कम से कम बापू को यह समझना चाहिए था कि शासन से बा को छोड़ने के लिए कहना सत्याग्रह के आदर्शों के विरुद्ध है। उपवास का चाहे जो नतीजा हो।

'हर हालत में' बा ने कहा, 'मैं यहां संतुष्ट हूं, बस मुझे वे बापू के बारे में रोज के रोज खबर देते रहें। ईश्वर ने पहले प्रयोगों में भी उनकी रक्षा की है, अब भी वही करेंगे।'

उपवास के तीसरे दिन ऊपरी ताकतों के दबाव के कारण अधिकारी बा को रिहा कराकर घर पर छोड़ गये। अचानक बा को घर पर देखकर, बापू ने नाराजगी से पूछा, 'तुम कैसे आ गयी?'

'क्यों, सरकार ने मुझे रिहा किया है।' कस्तूरबा उनके पूछने के ढंग से परेशान हो गई। पहले तो चाहते थे कि मैं उनके पास चली आऊं। अब वे नाखुश हैं कि रिहा होकर उनके पास आ गई।

'मणिबेन और मृदुला कहां हैं?'

बा को महसूस हुआ कि बापू के निकट होने की उत्सुकता में उन्होंने उन दोनों साथी-कैदियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया। लेकिन कहा, 'ट्रांबा जेल में हैं।'

'तुम अपनी साथियों को इस तरह छोड़ दोगी?' बापू ने याद दिलाने के अंदाज में कहा।

'कदापि नहीं।'

'तो क्या करोगी?' बापू ने सीधा सवाल किया।

बा ने एक क्षण सोचा फिर बोली, 'मैं शाम को ट्रांबा लौट जाऊंगी।'

बापू टटोल भी रहे थे और चिढ़ाकर मजा भी ले रहे थे। बा सोच रही थी, यह अच्छा है कि वह हारी नहीं। फिर कहा, अगर वे लोग अंदर नहीं जाने देंगे तो वह महल के बाहर बैठी रहेगी।

बा और बापू उसके बाद तनावरहित हो गये थे। अपने में भी खुश थे और एक दूसरे से भी। बापू की चिन्ता बा के उत्तर से कम हुई थी। बापू ने उनको दायित्व का भान करा दिया था। बा शाम होते ही ट्रांबा चली गयी। बापू ने न कुछ कहा, न पूछा। पर वे सोच रहे थे कि क्या ऐसी स्थिति में वे स्वयं भी ऐसा ही करते?

1956 में जहां बा काल-कोठरी में थी, वह बंगला या महल महिलाओं की चिकित्सा के लिए 'कस्तूरबा आरोग्य धाम' में बदल दिया गया था।

राजकोट से आने के बाद बा नजले-जुकाम से ग्रस्त हो गयी। कुछ दिन बाद मलेरिया की चपेट में आ गयी। वह इतनी कमजोर और निढाल हो गयी कि बापू चिन्तित हो गये। उन्हें लगने लगा कि बा को अच्छे इलाज की आवश्यकता है। उसके लिए सहमति चाहिए। तब सुशीला नैयर दिल्ली में मेडिकल में एम. डी. कर रही थी। बा को उसी पर विश्वास था। लेकिन पढ़ाई के दौरान उसे बुलाना न बा को पसंद था न बापू को। देवदास दिल्ली में था। बापू ने बा का हाल तार से देवदास को भेज दिया। बा के दिल्ली पहुंचने की सूचना भी दे दी। जब बा दिल्ली पहुंची तो स्टेशन पर देवदास और सुशीला, दोनों मौजूद थे। सुशीला को अच्छा नहीं लगा कि इस हालत में बापू ने बा को रेल से अकेले भेज दिया। उसने जब बा से कहा तो बा ने बताया, 'अरे इसमें क्या हुआ, महादेव ने वर्धा स्टेशन पर बैठा दिया। सहयात्रियों ने देखभाल करने की जिम्मेदारी ले ली। किसी को साथ लेने की भला जरूरत क्या थी, मैंने ही कहा था।'...*क्रमशः अगले अंक में*

बढ़ता ज़हरीला ठोस कचरा एक बड़ी समस्या का लक्षण मात्र है

❑ रामदत्त त्रिपाठी

भारत के शहरों, क़स्बों और गाँवों में सड़ते हुए ठोस कचरे के पहाड़ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गम्भीर समस्या बन गये हैं. हर घर, ऑफिस, कारख़ाने, अस्पताल, बाज़ार और दुकान से रोज़ ढेर सारा ठोस कचरा निकलता है. यत्र तत्र सर्वत्र यह कचरा सड़क, पार्क, तालाब, झील या नदी के किनारे पर बिखरा और सड़ता रहता है. कई जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, जिनकी बदबू से लोगों का जीना दूभर है. ऊपर ही नहीं यह ज़मीन के अंदर का पानी भी प्रदूषित कर रहा है. हर साल हज़ारों लोग बीमार पड़ते हैं और मरते भी हैं. इसमें बड़ी मात्रा ऐसे कचरे की है जो जैविक या प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, इसलिए न वह स्वतः नष्ट होता है, न किसी जीव जंतु के काम आता है.

अपने देश में ऐसे मोहल्ले , कालोनियाँ, औद्योगिक क्षेत्र और बाज़ार नहीं हैं, जहां कूड़े को छांटकर अलग-अलग रखने, ढोने और ठिकाने लगाने की समुचित व्यवस्था हो. कुछ बड़े शहरों में जो परियोजनाएँ शुरू की गयीं, वह भी भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था का शिकार हो गयीं.

कूड़ा छाँटने और उठाने की समुचित व्यवस्था न होने से कई जगह सफ़ाई कर्मचारी उसे नालों में ढकेल देते हैं. इस कचरे का एक हिस्सा नालों के जरिये नदियों में जा रहा है. गोमती सफ़ाई अभियान के दौरान कई जगह नालों पर जालियाँ लगायी गयीं तो ट्रकों ठोस कचरा निकलते देखा.

सबको मालूम है कि इस कचरे से तरह-तरह की बीमारियां फैलती हैं.मगर उसका ठीक लेखा जोखा किसी के पास नहीं होता. कचरे को कहाँ और कैसे खपाया जाये, इस पर तो बहुत चर्चा होती है, मगर इस पर कम चर्चा होती है कि कचरे को कम कैसे किया जाये. वास्तव में कचरा कम करने के लिए उत्पादन और उपभोग दोनों के तरीक़ों में बदलाव लाना पड़ेगा. इस सिलसिले में कुछ दशक पहले तक, विशेषकर गाँव की जीवनशैली याद आती है. वहाँ की जीवनशैली से घरों में ऐसा कचरा होता ही नहीं था, जिसको ठिकाने लगाने के लिए अलग से कोई व्यवस्था चाहिए.

अब गाँवों में भी कचरा एक समस्या बनता जा रहा है. गांव में हम खाने-पीने के लिए अनाज आटा, दाल, चावल, चूड़ा, सत्तू, फल, सब्ज़ी, दूध, घी, मट्ठा, तेल आदि लोकल चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे. टूथपेस्ट और टूथब्रश के बजाय नीम या बबूल की दातून इस्तेमाल करते थे. मसाले सुबह शाम घर में ही सिल पर पिस जाते थे, जिससे उनके रस और खुशबू बरकरार रहते थे और पैकिंग का कचरा भी नहीं होता था. कपड़ा या तो लोकल बुना जाता था , या फिर मिलों का कपड़ा थान से ख़रीदकर स्थानीय दर्जी से सिलवाया जाता था.

पहले शादी ब्याह में दोना–पत्तल, कुल्हड़ और परई गाँव का ही बना होता था, जिसके सड़ाने या गलाने की समस्या नहीं थी. अब गाँवों में भी प्लास्टिक या थर्माकोल के कप, कटोरी, गिलास और प्लेट इस्तेमाल हो रहे हैं. बाँस या लकड़ी की चारपाई मूँज या सनई की रस्सियों से बुन ली जाती थी. प्लास्टिक या नायलान की रस्सी नही होती थी. अब तो चारपाई का फ्रेम भी लोहे का और निवाड़ प्लास्टिक की होती है. अब तो मच्छरदानी भी नायलान की बनती है. सूती खादी और हैंडलूम में पोलियस्टर धागा घुस गया है. तखत भी गाँव में ही बढ़ई बना जाते थे. अब लोहार, बढ़ई कम हो गए हैं.मिट्टी के बर्तन वाले कुम्हारों का धंधा भी चौपट है.

करीब- करीब हर घर में जानवर पाले जाते थे. खाने की थाली में बचा जूठन और फल सब्ज़ी का छिलका जानवरों के चारे में मिला दिया जाता था. ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और थ्रेशर आदि के इस्तेमाल से अब जानवर बहुत कम हो गये हैं और खेतिहर मजदूर बेकार. चारे, पानी की कमी से लोग बिना दूध वाले और बूढ़े जानवर तो रखना ही नही चाहते. हम जैविक खेती की बात चाहे जितनी करें, लेकिन अब गाँवों में गोबर की खाद मिलना कम हो गयी है.

हर परिवार को गाँव के किनारे घूर डालने की जगह निश्चित होती थी, जिसमें गोबर और अन्य सड़ने वाला कचरा डाला जाता था. दीपावली में इस घूरे पर भी दिया जलाया जाता था, क्योंकि यही घूर क़ीमती जैविक कम्पोस्ट बन जाता था. इसे बैलगाड़ियों पर लादकर खेत में डाला जाता था. शहरों में जिनके पास जगह है, वे भी सब्जियों और फलों के छिलकों की कंपोस्ट खाद बनाने के बजाय प्लास्टिक थैलियों में कूड़े में फेंक देते हैं, जो आवारा गायों के पेट में जाता है. डाक्टरों ने सैकड़ों गायों के पेट से आपरेशन करके प्लास्टिक थैलियाँ निकालीं हैं, पर इनकी तस्वीरें देख कर भी हमारी आँखें नहीं खुलतीं।

बताते चलें कि कम्पोस्ट खाद के साथ ही गांव के तालाब से निकालकर नयी मिट्टी भी खेत में डाली जाती थी. कच्चे घर बनाने या मरम्मत के लिए भी तालाब से मिट्टी निकाली जाती थी, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था तो कुओं का जलस्तर भी ठीक रहता था.तालाब से पशु पक्षियों को भी पानी मिलता था. अब पक्के सीमेंट के मकान होने से तालाब गहरे नहीं होते और हर साल जलस्तर नीचे जा रहा है. हम तो अपने कपड़े भी ऊसर ज़मीन पर निकलने वाली रेह से साफ़ कर लेते थे। गाँव के लोनिया कारगर इससे सोडा तैयार कर लेते थे। तालाबों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने से नदियों का जलस्तर भी ठीक रहता था. मगर अब तालाब सूखने के साथ ही नदियों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज की समस्या है. गंगा, यमुना में पानी की कमी का यह भी एक कारण है. चाहे कुएँ से पानी भरना हो, बर्तन माँजना, कपड़े धोना, जानवरों के चारे का इंतज़ाम हो या दो चार किलोमीटर तक स्कूल अथवा हाट बाजार जाना हो, शारीरिक श्रम सबकी दिनचर्या का अनिवार्य अंग था. बिना डाक्टरी सलाह ही हर कोई शारीरिक श्रम कर लेता था.

मेरे बचपन में तो हर घर में आटा पीसने के लिए जाँत, चकरी, कांड़ी-मूसल आदि थे.सुबह हमारी नींद खुलने से पहले हमारी दादी रोज़ की ज़रूरत का आटा खुद पीस लेती थीं। अब शादी के मंडप में हल , मूसल और चकरी के खिलौने रखे जाते हैं. इस जीवनशैली में सामान की पैकिंग वाला कचरा नहीं होता था. प्लास्टिक की बोतलें या थैलियाँ नहीं थीं. इस तरह स्थानीय

कारीगरों को रोजगार मिलता था, जिनके बच्चे अब बेरोजगार होकर शहर भाग रहे हैं.

किसी भी गाँव या क़स्बे के बाजार में लोकल सामान बहुत कम होता है.विदेशों से आयातित अथवा देसी कारख़ानों का सामान ही मिलता है, जिसकी पैकिंग में प्लास्टिक, काग़ज़, गत्ता, फ़ोम आदि इस्तेमाल होता है. अब कपड़ा, अनाज, सब्ज़ी, फल, दूध, अंडे, चीनी आदि रोज़मर्रा की चीज़ें भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से या विदेश से आयातित होते हैं. इनकी ढुलाई में कितना डीज़ल जलता है. दूर से सामान लाने से उसकी पैकिंग में ढेर सारा सामान लगता है, जो बाद में कचरे में तब्दील हो जाता है.

स्थानीय स्तर पर उत्पादन न होने से लोग बेरोज़गार होते हैं। जो काम ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शुरू किया था, वह आज भी जारी है. भोजन और वस्त्र आदि के अलावा आजकल बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा एक नयी समस्या है, जिसमें ख़तरनाक बैटरी आदि भी होती है. यह कचरा भी करोड़ों टन होता है. कचरे की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि उसकी ढुलाई और ठिकाने लगाने के लिए ख़ाली ज़मीन मिलना एक विकट समस्या है। यह जीवन शैली न केवल बेहिसाब ठोस कचरा पैदा करती है वरन गंदगी के साथ-साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और रोज़गार की समस्या भी पैदा करती है.

आज जब हम स्मार्ट शहर और स्मार्ट गाँव बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें ठहर कर सोचना चाहिए कि क्या हम दैनिक उपयोग की वस्तुएँ जैसे कपड़ा, अनाज, फल, साबुन, जूता आदि स्थानीय स्तर पर पैदा नहीं कर सकते, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, कचरा कम निकले और हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य की भी रक्षा हो. यह प्रश्न हमारे स्थानीय स्वशासन से भी जुड़ा है.

राज्य सरकारें अपने अधिकारों के लिए तो लड़ती हैं, लेकिन शहरी और ग्रामीण निकायों को स्थानीय सरकार के बजाय अपने अधीन विभाग की तरह नियंत्रित करती हैं. स्थानीय निकायों में बढ़ती आबादी के अनुरूप स्टाफ़ नहीं नियुक्त होते. जो स्टाफ़ है उसमें भी वर्क कल्चर नहीं है. हमने चीन के शंघाई, बीजिंग और दूसरे शहरों में देखा कि हर बाज़ार में साफ़ सुथरा सार्वजनिक शौचालय है. सड़क पर हर थोड़ी दूर पर कूड़ेदान हैं. बाज़ार में सफ़ाई कर्मचारी पूरे समय ड्यूटी पर रहते हैं. शंघाई में एक रोज़ हम बाज़ार में थे. पोती की कांच की बोतल हाथ से गिरकर टूट गयी. जब तक हम कॉंच के टुकड़े समेटते, एक मुस्तैद सफ़ाई कर्मचारी आया और बिना कुछ कहे सारे टुकड़े समेटकर सफ़ाई कर दी.

प्राग और लंदन आदि के नागरिकों में बचपन से ही ऐसे संस्कार डाले जाते हैं कि कोई आदमी काग़ज़ का टुकड़ा भी इधर-उधर नहीं फेंकता. हम भारतीय घर का कूड़ा सड़क, नाली, पार्क या नदी में फेंकने पर शर्मिंदा नही होते. हमारे यहां पॉश कालोनियों में कूड़ा बिखरा मिलता है. हम समझते हैं कि सफ़ाई करना केवल सफ़ाई कर्मचारी का काम है. हमारे यहां व्यक्तिगत शुचिता पर ज्यादा जोर है. हम घर का कूड़ा सड़क या नाली में फेंकने पर शर्मिंदा नहीं होते. जहां लोग कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, वहां समय से उठाया नहीं जाता। कहते हैं कि कूड़ा गाड़ियों का डीज़ल भी चोर बाज़ार में बिक जाता है.

इसलिए कचरे का ढेर अपने आप में बड़ी समस्या नहीं है. समस्या की जड़ है हमारी उत्पादन और वितरण प्रणाली, हमारी उपभोग की आदतें और जीवनशैली. सरकारें प्लास्टिक और पोलीथिन थैलियों का उपयोग रोकने की बात करती हैं, पर इनका उत्पादन बंद नहीं करवातीं. वैज्ञानिकों को केवल उद्योगों के मुनाफ़े के लिए ऐसी तकनीकी नहीं विकसित करनी चाहिए जो प्रकृति का नाश करे। प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता। एक का कचरा दूसरे का भोजन या उपयोगी सामान होता है। दुर्भाग्य है कि आज वैज्ञानिक प्रगति ही प्रकृति के लिए ख़तरा बन गयी है।

इसके अलावा हमारी दिनों दिन केंद्रित हो रही शासन प्रणाली भी बहुत समस्याओं की जड़ में है। समझने की बात है कि केंद्रीय या प्रांतीय राजधानी में बैठकर स्थानीय स्वशासन नही चलाया जा सकता. निचले स्तर की स्थानीय सरकारें मज़बूत और सक्षम हों तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सफ़ाई के लिए हाथ में झाड़ू नहीं पकड़ना पड़ेगा। तब यह जिम्मेदारी ग्राम प्रधान, सभासद और नगर प्रमुख की होगी. ❑

वर्तमान परिस्थिति पर सेवाग्राम में लेखकों, पत्रकारों एवं कलाकारों का सम्मेलन

आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है. हम पर एक अघोषित आपातकाल थोप दिया गया है. तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर अनेकों लोग या तो जेल के सीखंचों के अन्दर हैं या उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमें चल रहे हैं. आज देश में जितने 'राष्ट्रद्रोही' है, उतने इससे पहले कभी नहीं थे. जो सरकार के साथ नहीं हैं उन सबकी राष्ट्रभक्ति को 'संदेहास्पद' मन जा रहा है.

भीड़ की कब किसे मौत के घाट उतार देगी कहना मुश्किल है. इसके शिकार अब सरकारी ड्यूटी कर रहे अधिकारी भी होने लगे हैं. गांधी को गली देना प्रगतिशीलता का परिचायक बन गया है. इसमें सत्ताधारी दल के मंत्री एवं विधायक भी शामिल हैं.

30 जनवरी 2019 को अलीगढ़ में गां
की तस्वीर को गोली मारने, खून बहाने एवं ि

हत्यारे का जन्म दिन मनाने की
के लिये कलंक है. पर वे इसे अपना आभूषण समझते हैं. इन मुद्दों पर चिंतन करने तथा एकजुट होकर आगे बढ़ना, समय की मांग है.

इस दृष्टि से दिनांक 23 एवं 24 नवम्बर 2019 (शनि-रवि) को पूज्य बापू की कर्मभूमि सेवाग्राम (वर्धा, महाराष्ट्र) में लेखकों, पत्रकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है. इसमें रूचि रखने वाले सर्व सेवा संघ सेवाग्राम कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क : फोन : 07152-2840-61/91, ई-मेल : sarvasevasangha@hotmail.com

: विनीत :

प्रो. गणेश देवी	**महादेव विद्रोही**
अध्यक्ष	अध्यक्ष
राष्ट्र सेवा दल	सर्व सेवा संघ

अनुच्छेद 370 : अर्धसत्यों की भरमार

❑ राम पुनियानी

जम्मू-कश्मीर राज्य अब दो केन्द्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। इसके साथ ही, हवा में ढेरों अर्धसत्य तैर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध किया था और जो कश्मीर का भारत में जबरदस्ती विलय करवाने के पक्षधर थे, की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं ने अब एक नया शिगूफा छोड़ा है। उनका कहना है कि डॉ अम्बेडकर, अनुच्छेद 370 के खिलाफ थे और इस प्रावधान को हटा कर भाजपा ने उन्हें श्रद्धांजलि है (अर्जुन राम मेघवाल, इंडियन एक्सप्रेस, 20 अगस्त 2019)।

मेघवाल का दावा है कि अम्बेडकर ने एक बैठक में शेख अब्दुल्ला से कहा था कि ''आप चाहते हैं कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, वहां के नागरिकों का पेट भरे और कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार दे। परंतु आप भारत को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं देना चाहते...।'' मेघवाल यह इशारा भी करते हैं कि नेहरू की कश्मीर नीति के कारण भारत और पाकिस्तान में शत्रुता हुई जिसके नतीजे में दोनों देशों के बीच तीन युद्ध हुए। मेघवाल के अनुसार, अम्बेडकर कश्मीर समस्या का स्थायी हल चाहते थे और यह भी कि अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा मिली।

यह तत्समय के घटनाक्रम को विकृत स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबासाहब के अलावा मौलाना हसरत मोहानी ने भी अनुच्छेद 370 का विरोध किया था। मेघवाल के अनुसार, मोहानी को संसद में इस अनुच्छेद का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। बाबासाहब ने उस बैठक में भाग ही नहीं लिया जिसमें इस अनुच्छेद से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबासाहब ने इस अनुच्छेद के प्रति अपना विरोध सार्वजनिक किया था। परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बाबासाहब की प्रजातंत्र में अटूट आस्था थी और अगर वे आज होते तो निश्चित रूप से कहते कि कश्मीर के लोगों की राय को सर्वोपरि माना जाना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हुए तीन युद्धों के लिए नेहरू सरकार की नीतियों को दोषी ठहराना कतई उचित नहीं है। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि उसने कबाइलियों के भेस में अपने सैनिकों की कश्मीर में घुसपैठ करवाई ताकि हिन्दू महासभा के सावरकर के द्विराष्ट्र सिंद्धात के अनुरूप, वह कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित कर सके। मुस्लिम लीग भी इसी नीति की समर्थक थी। जिन्ना और पाकिस्तान का मानना था कि चूंकि कश्मीर मुस्लिम-बहुल क्षेत्र है इसलिए उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी ओर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की स्पष्ट राय थी कि कश्मीर का विलय दोनों में से किस देश में हो, इसका निर्णय कश्मीर के लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सरदार वल्लभभाई पटेल की भी यही मान्यता थी कि कश्मीर के लोगों की इच्छा का आदर होना चाहिए। नेहरू के शेख अब्दुल्ला से सन् 1930 के दशक से निकट संबंध थे। दोनों प्रजातंत्र, बहुवाद और समाजवाद में आस्था रखते थे। अपनी विचारधारात्मक प्रतिबद्धताओं के कारण ही अब्दुल्ला ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का फैसला किया।

जहां तक सन् 1965 के युद्ध का सवाल है, उसके पीछे कश्मीर समस्या की भी भूमिका थी परंतु उसके लिए भारत की कश्मीर नीति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह युद्ध दोनों देशों की कश्मीर के मुद्दे पर अलग-अलग सोच का नतीजा था। जहां तक सन् 1971 के युद्ध का सवाल है, उसका संबंध पूर्वी पाकिस्तान के घटनाक्रम से था जहां पाकिस्तान की सेना ने अभूतपूर्व दमन चक्र चला रखा था। सेना के अत्याचारों से पीड़ित लगभग एक लाख शरणार्थी भारत आ गए थे। इस युद्ध से बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजादी मिली।

जहां तक कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद के जड़ पकड़ने का सवाल है, उसके लिए भारत की साम्प्रदायिक ताकतों की कारगुजारियां जिम्मेदार हैं। मेघवाल की विचारधारा में आस्था रखने वाले गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या ने भारत की धर्मनिरपेक्षता में शेख अब्दुल्ला की आस्था को हिलाकर रख दिया। उनका भारत से मोहभंग हो गया और उन्होंने पाकिस्तान और चीन से वार्ताएं शुरू कर दीं। इसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं से कश्मीर में अलगाववाद का भाव जन्मा, जिसने बाद में आतंकवाद की शक्ल ले ली। इसी का लाभ पाकिस्तान ने उठाया। आगे चलकर अलकायदा जैसे तत्वों ने कश्मीरियत की रक्षा के मुद्दे को हिन्दू-मुस्लिम विवाद का रूप दे दिया।

हमें यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में अलगाववाद इसलिए नहीं पनपा क्योंकि राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था। अलगाववाद पनपने के पीछे दो कारक थे। जहां भारत ने राज्य की बहुवादी संस्कृति को कमजोर किया, वहीं पाकिस्तान ने आग में घी डाला। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम और कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न प्रस्ताव, इस क्षेत्र में शांति की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। पश्चिमी राष्ट्रों की शह पर पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से को छोड़ने से इंकार कर दिया जिस पर उसने जबरदस्ती कब्जा जमा लिया था। कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह के प्रस्ताव को डीप फ्रीजर में रख दिया गया।

दरअसल, मेघवाल शायद कश्मीर के मुद्दे को उसकी समग्रता में समझ ही नहीं सके। वे इधर-उधर से इतिहास की कुछ घटनाओं को उठाकर उनका इस्तेमाल अपनी पार्टी के मनमाने निर्णय को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। इस निर्णय में पारदर्शिता और प्रजातांत्रिकता दोनों का अभाव है। बाबासाहब की राजनीति पूरी तरह पारदर्शी और सिद्धांतों पर आधारित थी। वे जो सोचते थे, वही कहते थे और जो कहते थे, वही करते थे। अम्बेडकर, संविधान की मसविदा समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति ने संविधान का जो मसविदा तैयार किया था, उसमें अनुच्छेद 370 शामिल था।

हां, यह स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। परंतु इसे हटाने के पहले हमें यह सुनिश्चित करना था कि पड़ोसी देश से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हों और हम कश्मीर के लोगों के दिलों को जीत सकें। पाकिस्तान चाहे जो समस्याएं खड़ी करे, हमें कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करनी ही चाहिए। बाबासाहब और सरदार पटेल भी यही करते। राष्ट्रों की नींव प्रेम और सौहार्द पर रखी जाती है। लोगों पर जबरन कोई व्यवस्था लादने से नुकसान की संभावना अधिक होती है, लाभ की कम। ❑

गतिविधियां एवं समाचार

वनाधिकार पर गोष्ठी

जंगलों के साथ समुदाय के रिश्ते; वनाधिकार और वन कानून विषय पर 5 अगस्त 2019 को उत्तराखंड जन जागृति संस्थान खाड़ी, टिहरी गढ़वाल जिले में एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में भारतीय वन कानून-1927 में भारी संशोधन के प्रस्ताव पर चिंता प्रकट कर इसे जंगलों पर निर्भर समुदायों, किसानों और ग्रामीणों को कुचलने वाला सरकार का अलोकतांत्रिक कृत्य बताया गया और जनहितकारी वनाधिकार अधिनियम 2006 को निष्प्रभावी बनाने के घटिया प्रयास की निन्दा की गयी।

उत्तराखंड में सर्वोदय के साथियों द्वारा चलाये गये विश्वविख्यात चिपको आंदोलन के दौरान देंवल घाटी में चले संघर्षों को याद करते हुए आंदोलन के नारों को दोहराया गया। माउन्टेन फोरम हिमालय, हिमालय सेवा संघ, उत्तराखंड जन जागृति संस्थान व सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित व मध्यांतर फोरम भोपाल के सहयोग से संपन्न हुई गोष्ठी में स्थानीय कॉलेजों के छात्रों व ग्रामीण महिलाओं ने प्रतिभाग किया।

इस अवसर पर चिपको आंदोलन के वरिष्ठ साथी धूमसिंह नेगी, दयालभाई, सुदेशा बहन, दुलारी बहन, अरण्यरंजन, राजेन्द्र भंडारी, फूलदास, विजय सेमवाल सहित कई स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये। **–साहब सिंह सजवाण,**
संयोजक, जिला सर्वोदय मित्र मंडल

'राजस्थान में गांधी' विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित

'बापू-150' के अंतर्गत जोधपुर में 'राजस्थान में गांधी' विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गयी। प्रमुख वक्ता और अवकाश प्राप्त आईपीएस अधिकारी डॉ. धमेन्द्र भटनागर ने कहा कि ''गांधीजी विश्व नायक हैं, आज उनके विचारों के कारण राजस्थान ही नहीं, समूचा विश्व उन्हें याद कर रहा है। वे अपने जीवन काल में तीन बार राजस्थान आये एवं स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधीवादियों को मार्गदर्शन व आशीर्वाद दिया। उन्होंने अजमेर, मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर में आमजन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। भटनागर जी ने कहा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को गांधी के कार्यों से परिचित करवायें, यही बापू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधी अजातशत्रु एवं ज्योतिपुंज थे। युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

कार्यक्रम के प्रारंभ में सचिव भावेन्द्र शरद जैन ने डॉ. भटनागर द्वारा लिखी पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए गांधी शांति प्रतिष्ठान केन्द्र की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय दिया। आशा बोथरा ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि वर्ममान परिस्थितियों में युवा स्वयं गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में आगे आयें।

–भावेन्द्र शरद जैन

मेधा पाटकर ने अनशन तोड़ा

मेधा पाटकर ने 9 दिन के बाद 3 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अपना अनशन तोड़ा। वे 25 अगस्त से अनशनरत थीं। पिछले दिनों राज्य सरकार के गृहमंत्री ने आंदोलन का समर्थन करते हुए अनशनरत सुश्री पाटकर के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जाहिर की थी। उन्होंने आंदोलन की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर उनका निराकरण करवाने का आश्वासन दिया था।

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2019 को बड़वानी जिले के छोटा बड्डा में अवैध रूप से डूबने के खिलाफ अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हुआ था। केंद्र और गुजरात सरकार की असंवेदनशीलता के कारण, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हजारों परिवार बिना नीति-चालित पुनर्वास के डूबने का सामना करने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार की एक एजेंसी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) जानबूझकर जल स्तर बढ़ाकर पुनर्वास के बिना किसान-आदिवासी, केवट-कहार, पशुपालक, कुम्हार, भूमिहीन मजदूरों को डुबोने की कोशिश कर रही है।

सत्याग्रहियों की मांग है कि बांध के गेट खोलकर जलस्तर 130 मीटर तक कम कर 32 हजार प्रभावितों के पुनर्वास की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ किया जाए। बिना पुनर्वास के बांध में 138.68 मीटर तक पानी भरना एक जीती-जागती सभ्यता की जल हत्या होगी, जो प्रभावितों के संवैधानिक अधिकारों के हनन के साथ नर्मदा ट्रिब्यूनल के फैसले, न्यायालयीन आदेशों और पुनर्वास नीति का खुला उल्लंघन है।

प्रभावितों ने पूर्व में सरकार को प्रस्तुत 33 बिंदुओं के मांग पत्र पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। साथ ही संकल्प व्यक्त किया कि जब तक सरकार प्रभावितों की न्यायपूर्ण और वैधानिक मांगों को नहीं मानती, सत्याग्रह जारी रहेगा।

गांधी-150 के निमित्त सभा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जिला सर्वोदय मंडल अकोला की ओर से 2 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जनजागरण अभियान चलाने का आवाहन सर्वोदय मंडल के जिलाध्यक्ष बबनराव कानकिरड ने किया है। अकोला जिला सर्वोदय मंडल की मासिक सभा में गांधी के 150वें जयंती उत्सव पर कार्यक्रम नियोजन, चरखा सम्मेलन का आयोजन, साम्य योग के पाठक बढ़ाना, युवा पीढ़ी को संगठित करना, वस्त्र स्वावलंबन, खादी ग्रामोद्योग तथा निसर्गोपचार का प्रचार करने का निर्णय किया है। वरिष्ठ सर्वोदयी रामसिंह राजपूत, कृषि कीर्तनकार महादेवराव भुईभार, वस्त्र स्वावलंबन अभियान प्रमुख वसंतराव केदार, तेल्हारा तहसील संयोजक सुरेशचंद्र काले, प्रह्लादराव नेमाड़े, महेश अड़े आदि सभा में उपस्थित थे।

प्रभाशंकर भट्ट नहीं रहे

राजस्थान के निष्ठावान रचनात्मक कार्यकर्ता, शराबबंदी के लिए जीवन समर्पित करने वाले प्रभाशंकर भट्ट का 92 वर्ष की उम्र में 17 अगस्त को मुम्बई में निधन हो गया। वे अपने मूल गांव हाथल ग्रामसभा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। हाथल आदर्श ग्रामदानी गांव रहा है। भट्टजी ने ग्रामदान को आदर्श बनाने में कठिन परिश्रम किया।

प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माण सभा के सदस्य रहे प्रभाशंकर जी, गोकुल भाई भट्ट के बड़े पुत्र थे। प्रभाशंकर भट्ट का जीवन अपने पिता के समान ग्राम आधारित रहा। उनकी स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान की रचनात्मक संस्थाओं के वरिष्ठ जनों ने अपने अनुभव एवं स्मरण सुनाते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। हाथल गांव की ग्रामसभा ने भी उनका स्मरण करते हुए उनके योगदान को स्थायी एवं सदा याद रखे जाने योग्य माना।

–डॉ. अवध प्रसाद

'Sarvodaya Jagat' Hindi Fortnightly
Registered under RNI No. 35495/78, Postal Registration No. VSI-(E) 04, Valid upto 31 December 2020
Issued by S.S.P.O. Varanasi (East Division)

कविता

विश्व-वंद्य बापू

❑ हरिशंकर वर्मा

बापू तुम सत्य, अहिंसा के मन-वचन-कर्म से साधक थे,
तुम धर्म धाम, तुम पुण्य प्राण, प्रभु के अविचल आराधक थे।
तुमने तप त्याग किया भगवन्, जन-जनता ने सहयोग दिया,
आत्मा की अजर अमरता का, सुखमूलक सफल प्रयोग किया।।

बापू तुम आरत भारत के दृढ़, बेड़ी बन्धन काट गये,
पाया स्वराज्य सब हैं स्वतंत्र, भर गये राष्ट्र में भाव नये।
उत्साह उछलने लगा, उमंगों ने अंगों में जोश भरा,
रुखा-सूखा उजड़ा बिगड़ा, भारत वन-उपवन हुआ हरा।।

थी एक ओर सेना विशाल, मारक संहारक साधन थे,
पर टिके दूसरी ओर, सत्य सद्भाव अहिंसामय जन थे।
अध्यात्मवाद की विजय हुई, पाशविक शक्ति का ह्रास हुआ,
शुचिता जीवन की जाग उठी, मानव का विमल विकास हुआ।

पन्द्रह अगस्त लेकर स्वतंत्रता, प्रथम बार जब आयी थी,
स्वागत सहर्ष कर जनता ने, अतिश्रद्धा भक्ति दिखाई थी।
ऐसा प्रतीत होता था तब, बस राम-राज्य छा जायेगा,
इस पुण्य-भूमि में एक बार, फिर से सतयुग आ जायेगा।।

सब समझे थे स्वराज्य सुषमा, सुखदा समृद्धि बरसायेगी,
पर अन्नदान दे दूध दही की, नदियां नहर बहायेंगी।
निज उदर दरी के भरने को, अपराध न जन कर पायेंगे,
बनकर आदर्श नागरिक अब, सब सुख से आयु बितायेंगे।।

पर आज देश की दशा देख, करुणा को करुणा आती है,
भूखी प्यासी नंगी जनता, नित दारुण दुःख उठाती है।
अपराध बढ़ रहे, मारकाट, रिश्वत रमणी का नर्तन है,
पाकर स्वराज्य क्या इसी तरह, होता अनुचित परिवर्तन है।।

अति सुदृढ़ दासता दुर्ग, अहिंसा के बल से तोड़ा बापू,
परदेसी प्रभुता सत्ता ने, ज्यों-त्यों पीछा छोड़ा बापू।
अब स्वर्ण-शृंखलाओं में हमने, हंस-हंस कंठ फंसाये हैं,
आपाधापी की वेदी पर, सुख-स्वार्थ प्रसून चढ़ाये हैं।।

तिकड़म की तानें सुनते हैं, कटु कूट कुनीति कुचलती है,
भ्रष्टाचारों की उग्र आग, निशि-दिन धू-धू कर जलती है।
सुखभोग भावना भड़क उठी, आडम्बर की भरमार हुई,
सादगी, सरलता, सिसक रही, संगठन सुभट की हार हुई।।

सत्ता की बढ़ी महत्ता है, पद-मद पीकर बौराये हैं,
अधिकारों के अधिपति होकर हम आपे में न समाये हैं।
जनता के सेवक बनने में, अभिमान न अनुभव करते हैं,
सद्भाव स्नेह समता कैसी, आतंक, भ्रांति-भय भरते हैं।।

लेखनी और वाणी दोनों जो, पहले आग उगलती थी,
अन्यायों का मुंह मलती थी, अत्याचारों को दलती थी।
होकर स्वतंत्र बन गई मूक, परतंत्र भाव दर्शाती है,
सच कहने में सकुचाती हैं, दलबंदी पर बलि जाती है।।

बापू अब सत्य अहिंसा तो, वाणी विलास में रहते हैं,
मन वचन कर्म से भिन्न भाव, कुछ कहते हैं कुछ करते हैं।
तप, त्याग बेचारे बिलख-बिलख, गत गौरव याद दिलाते हैं,
पद प्रभुता पूर्ण स्वार्थ युग में, वे हाय न पूछे जाते हैं।।

जय बोल तुम्हारी गांधीजी, हम भक्तिभाव दर्शाते हैं,
करते मनमाने काम किन्तु, वाणी से गुण गण गाते हैं।
आदेश और उपदेश तुम्हारे, बापू नैक न भाते हैं,
बस रस्म अदा करने को ही, हम गांधी दिवस मनाते हैं।।

गांधीजी! प्राण तुम्हारे ले, ढाया अनर्थ हत्यारे ने,
पर गांधीवाद विनष्ट किया, हा! प्यारे देश तुम्हारे ने।
इससे बढ़कर अपराध हमारा, और न कुछ हो सकता है,
क्या इस कलंक को दम्भ दर्प, छलछद्म वारि धो सकता है?

तुमने स्वराज्य का दान दिया, भारत भू पर आभार रहे,
हे राष्ट्र-पिता! गांधी बापू, जगभर में जय जयकार रहे।
हम सत्य, अहिंसा साधक बन, सद्भक्त तुम्हारे बन जायें,
नैतिकता को अपनायें सब, फिर राम-राज्य की छवि छाये।।

सर्व सेवा संघ (स्वत्वाधिकारी) के लिए महामंत्री, शेख हुसैन द्वारा सर्व सेवा संघ परिसर, राजघाट, वाराणसी (उ.प्र.) 221001 से प्रकाशित तथा महावीर प्रेस, भेलूपुर, वाराणसी से मुद्रित। संपादक : बिमल कुमार।